UPME010148592021

न्यायालय :– अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–01, मेरठ।
उपस्थित :– राकेश कुमार –पंचम ... ... (एच०जे०एस०)
JO Code No– UP–6155

1– <u>सेशन केस सं०– 1337 सन् 2021</u>
सत्र परीक्षण सं०–776 सन् 2021

राज्य बनाम 1– अरविन्द उर्फ माच्छी पुत्र सुखबीर
2– मोहित उर्फ अमित उर्फ लाला पुत्र सुखबीर
3– वरूण पुत्र राकेश
4– मोहित उर्फ छोटू पुत्र राकेश
समस्त निवासीगण–ग्राम पूठी, थाना परीक्षितगढ़
जिला मेरठ।

धारा :–302/34,504 भा०दं०स०
मु०अ०सं० :– 211 सन् 2021
थाना :– परीक्षितगढ़, जिला मेरठ।

एवं

UPME010148572021

2– <u>सेशन केस सं०– 1338 सन् 2021</u>
सत्र परीक्षण सं०–777 सन् 2021

राज्य बनाम अरविन्द उर्फ माच्छी पुत्र सुखबीर
निवासी–ग्राम पूठी, थाना परीक्षितगढ़
जिला मेरठ।

धारा :– 3/25 आयुध अधिनियम
मु०अ०सं० :– 214 सन् 2021
थाना :– परीक्षितगढ़, जिला मेरठ।

एवं

UPME010148552021

3– <u>सेशन केस सं०– 1339 सन् 2021</u>
सत्र परीक्षण सं०–778 सन् 2021

राज्य बनाम मोहित उर्फ छोटू पुत्र राकेश
निवासी–ग्राम पूठी, थाना परीक्षितगढ़
जिला मेरठ।

धारा :– 3/25 आयुध अधिनियम
मु०अ०सं० :– 215 सन् 2021
थाना :– परीक्षितगढ़, जिला मेरठ।

एवं

UPME010148532021

4– <u>सेशन केस सं०– 1340 सन् 2021</u>
सत्र परीक्षण सं०–779 सन् 2021

राज्य बनाम मोहित उर्फ अमित उर्फ लाला पुत्र सुखबीर
निवासी–ग्राम पूठी, थाना परीक्षितगढ़
जिला मेरठ।

धारा :– 3/25 आयुध अधिनियम
मु०अ०सं० :– 216 सन् 2021
थाना :– परीक्षितगढ़, जिला मेरठ।

उपस्थित :– राज्य की ओर से विद्वान सहा० जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) श्री शिवम गुप्ता
वादी की ओर से विद्वान अधिवक्तागण श्री अमित त्यागी, एड० एवं श्री गुरूदत्त मुदगल एडवोकेट
अभियुक्तगण अरविन्द उर्फ माछी, मोहित उर्फ अमित उर्फ लाला, वरूण व मोहित उर्फ छोटू की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ओमकार सिंह भाटी, एडवोकेट

निर्णय

1– अभियुक्तगण अरविन्द उर्फ माच्छी पुत्र सुखबीर, मोहित उर्फ अमित उर्फ लाला पुत्र सुखबीर, वरूण पुत्र राकेश व मोहित उर्फ छोटू पुत्र राकेश का **सेशन केस सं०– 1337 सन् 2021, सत्र परीक्षण सं०– 776 सन् 2021**, धारा :–302/34,504 भा०दं०स०, अभियुक्त अरविन्द उर्फ माच्छी पुत्र सुखबीर का **सेशन केस सं०– 1338 सन् 2021, सत्र परीक्षण सं०–777 सन् 2021,** धारा 3/25 आयुध अधिनियम, अभियुक्त मोहित उर्फ छोटू पुत्र राकेश का **सेशन केस सं०– 1339 सन् 2021,सत्र परीक्षण सं०–778 सन् 2021,** धारा 3/25 आयुध अधिनियम एवं अभियुक्त मोहित उर्फ अमित उर्फ लाला पुत्र सुखबीर का **सेशन केस सं०– 1340 सन् 2021, सत्र परीक्षण सं०–779 सन् 2021,** धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत थाना परीक्षितगण, जिला मेरठ के द्वारा प्रेषित पृथक–पृथक आरोप पत्रों के आधार पर विचारण किया गया है।

2– चूंकि उपरोक्त वर्णित चारों सेशन केस एक ही घटना से अन्तर्समबन्धी हैं जिस कारण उक्त चारों वादों को निर्णय के समय निर्णय की विविधता से बचने के लिए एकजाई किया गया तथा **सेशन केस सं०– 1337 सन् 2021, सत्र परीक्षण सं०– 776 सन् 2021** को अग्रणी वाद बनाया गया है और इनका निस्तारण एक साथ एक ही निर्णय के माध्यम से किया जा रहा है।

क्रम संख्या	घटना की दिनांक	घटना का विवरण
(I)	दिनांक – 20.06.2021 समय – 21:00 बजे	अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी मुकदमा श्रीमती ड़िम्पल पत्नी दीपक द्वारा दिनांक 21.06.2021 को समय 00:44 बजे, थाना परीक्षितगढ, जिला मेरठ में एक लिखित तहरीर इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि प्रार्थिनी डिम्पल पत्नी दीपक उर्फ भोलू ग्राम पुटठी जिला मेरठ की निवासी है। ग्राम के ही अरविन्द उर्फ माच्छी का परिवार पार्टी बाजी के कारण प्रार्थिनी के पति दीपक उर्फ भोलू पुत्र संजय त्यागी से रंजिश रखता है। कल दिनांक 20.06.2021 की रात करीब 09.00 बजे जब प्रार्थिनी के पति दीपक ग्राम के ही साथी अशोक उर्फ नीटू पुत्र हरवीर के साथ महेन्द्र पुत्र भूण्डिया के मकान के सामने से होकर गुजर रहे थे व अपने घर के लिए आ रहे थे तभी अरविन्द उर्फ माच्छी पुत्र सुखवीर, मोहित उर्फ अमित उर्फ लाला पुत्र सुखवीर, वरुण पुत्र राकेश, मोहित उर्फ छोटू पुत्र राकेश व अज्ञात व्यक्ति अपने हाथों मे तमंचे व सरिये आदि हथियार से प्रार्थी के पति दीपक व अशोक उर्फ नीटू पर गालियां देते हुए एक राय होकर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया। शोर सुनकर प्रार्थिनी डिम्पल व संजय पुत्र हरवीर मौके पर पहुंच गये। इनके सामने उन लोगो ने मेरे पति दीपक व उनके साथी अशोक उर्फ नीटू पर गोलियाँ बरसा दी जिससे मेरे पति दीपक की मौके पर ही मृत्यु हो गयी व नीटू उर्फ अशोक गम्भीर रूप से घायल हो गये। अतः मुकदमा

		पंजीकृत कर कार्यवाही किए जाने की याचना की गयी।
(II)	दिनांक 21–06–2021 समय ००:44 बजे दिनांक 24–06–2021	उक्त तहरीर के आधार पर थाना परीक्षितगढ़, जिला मेरठ पर मु०अ०सं०–211 सन् 2021 पर धाना 147, 148, 149, 302, 307, 504 भा०दं०सं० के अन्तर्गत अरविन्द उर्फ माच्छी, मोहित उर्फ अमित उर्फ लाला, वरूण, मोहित उर्फ छोटू व 01 अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण का अन्वेषण आरम्भ किया गया। अन्वेषण अधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा उसका नक्शा नजरी तैयार किया एवं गवाहान के बयान लेखबद्ध किये। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण की घटना में मौके पर घायल नीटू उर्फ अशोक की मृत्यु दौरान उपचार दिनांक 30.06.2021 को आनन्द अस्पताल में हो गयी। दिनांक 24/06/21 को प्रभारी निरीक्षक आनन्द प्रकाश मिश्रा मय व उ०नि० श्री शिव नारायण सिंह मय उ०नि० प्रदीप कुमार मय है०का० 1101 तेजेन्द्र सिंह व का० 2428 परमजीत सिंह मय अतिरिक्त मोबाइल मय चालक कॉ० 564 सुनील कुमार के थाना हाजा से वहवाले र०नं०–08 समय 05.00 बजे बिनावर मु०अ०सं०–211 सन् 2021 धारा 147,148,149,302,307,504 भा०दं०सं० में वांछित अभियुक्तगण अरविन्द उर्फ माच्छी पुत्र सुखबीर, मोहित उर्फ अमित उर्फ लाला पुत्र सुखबीर, वरुण पुत्र राकेश व मोहित उर्फ छोटू पुत्र राकेश व अज्ञात व्यक्ति में रवाना होकर ग्राम बढ़ला की तरफ जा रहे थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि दिनांक 20.6.21 को ग्राम पूठी मे जिन लोगो ने दो लोगों को गोली मार दी थी जिनमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी व एक घायल हो गया था। इसके मुल्जिम बढ़ला डेरी चौराहे पर हैं, यदि जल्दी किया जाय तो पकडे जा सकते हैं, इस सूचना पर विश्वास करके हम पुलिस वालो ने जनता के गवाहान फराहम करने का प्रयास किया तो भलाई बुराई के डर व यात्रा में जाने का बहाना बताकर बिना नाम पता बताए चले गये कि हम पुलिस वालो ने मुखबिर खास को साथ लेकर बढ़ला की तरफ पहुँचे तो मुखबिर ने गाड़ी रुकवाकर दूर से इशारा करके बताया कि साहब बढ़ला डेरी चौराहे पर जो तीन व्यक्ति खड़े हैं, यही वही लोग हैं जिन्होंने ग्राम पूठी में गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या व एक व्यक्ति को घायल कर दिया था। तत्पश्चात हम पुलिस वालो ने एक बारगी दबिश देकर घेर घोट कर पकडना चाहा तो तीनों व्यक्तियों ने भागने का प्रयास किया तो तत्परता दिखाते हुए आवश्यक बल प्रयोग करते हुए तीनों व्यक्तियों को पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्तियों से बारी बारी नाम पता पूछते हुऐ जामातलाशी ली गयी तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम अरविन्द उर्फ माच्छी पुत्र सुखबीर, दूसरे ने अपना नाम मोहित उर्फ

		अमित उर्फ लाला पुत्र सुखबीर, तीसरे ने अपना नाम मोहित उर्फ छोटू पुत्र राकेश निवासीगण ग्राम पूठी थाना परीक्षितगढ़ मेरठ बताया। पकड़े गये व्यक्तियों को उनके जुर्म से अवगत कराते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों व निर्देशों का पालन करते हुए, समय करीब 07.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों के बयान लिये गये तो पहले बताने में हीला हवाली करते रहे। पुनः शक्ति से कड़ाई करते हुए पूछा गया तो पकड़े गये तीनों व्यक्तियों ने आलाकत्ल सठला की तरफ जाने वाले नहर मार्ग की तरफ झाड़ियों में रखना बताया और कहा कि अगर आप चाहो तो हम चलकर बरामद करा सकते हैं। इस पर हम पुलिस वाले इनको साथ लेकर इनके बताए हुए स्थान की ओर सरकारी गाड़ी से रवाना हुए तथा सीधे नहर मार्ग होते हुए पूठी सठला मार्ग की तरफ चल दिये सठला पुल से करीब 600 मीटर पहले अभियुक्तगण ने गाड़ी रुकवाकर बताया कि सीधे हाथ को जो कच्चा रास्ता यहाँ आ रहा है वह हमारे गाँव से आ रहा है और यहाँ नहर पर आकर शीशम के पेड़ के नीचे झाडियो हमने आला कत्ल छुपा दिये हैं। गाड़ी से उतरकर आगे आगे चलकर एक झाड़ी के पास तीनों अभियुक्तगण ने क्रमशः अरविन्द उर्फ माच्छी उपरोक्त ने एक अदद तमंचा 12 बोर झाडियों से निकालकर दिया। इसके बाद पकडे गये अभियुक्त मोहित उर्फ छोटू उपरोक्त ने झाडियों में से एक 315 बोर का तमंचा निकालकर दिया। इसके बाद अभियुक्त अमित उर्फ मोहित उर्फ लाला उपरोक्त ने झाड़ियों के काफी अन्दर से एक बंदूक 12 बोर निकालकर हम पुलिस बालो को दिया। बरामदा 312 बोर तमंचा व 01 अदद खोखा कारतूस 12 बोर व 315 बोर का तमंचा व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर, एक अदद 12 बोर बंदूक को मौके पर सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। मौके पर फर्द एस०एच०ओ० द्वारा बोल बोलकर उ०नि० प्रदीप कुमार से लैपटाप पर टाईप कराकर तैयार की गयी। अभियुक्तगण अरविन्द उर्फ माच्छी, मोहित उर्फ छोटू व अमित उर्फ मोहित उर्फ लाला से क्रमशः 01 अदद तमंचा 12 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस 12 बोर, 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 01 अदद बंदूक 12 कथित बरामदगी के आधार पर थाना परीक्षितगढ़ जिला मेरठ पर दिनांक 24–06–2021 को समय 10:05 बजे अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध क्रमशः मु०अ०सं० – 214 सन् 2021, मु०अ०सं० – 215 सन् 2021 व मु०अ०सं० – 216 सन् 2021 पर धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत पृथक–पृथक रूप से अभियोग पंजीकृत किया गया।
(III)	प्रसंज्ञान की तिथि	विवेचक द्वारा उपरोक्त प्रकरण की विवेचना पूर्ण करते हुए

	21–09–2021	संकलित साक्ष्यों के आधार पर मु०अ०सं०–211 सन् 2021 में अभियुक्तगण अरविन्द उर्फ माच्छी पुत्र सुखबीर, मोहित उर्फ अमित उर्फ लाला पुत्र सुखबीर, वरूण पुत्र राकेश व मोहित उर्फ छोटू पुत्र राकेश के विरूद्ध धारा 302/34,504 भा०दं०स० के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
	प्रसंज्ञान की तिथि 21–08–2021	विवेचक द्वारा उपरोक्त प्रकरण की विवेचना पूर्ण करते हुए संकलित साक्ष्यों के आधार पर मु०अ०सं०–214 सन् 2021 में अभियुक्त अरविन्द उर्फ माच्छी पुत्र सुखबीर, मु०अ०सं०– 215 सन् 2021 में अभियुक्त मोहित उर्फ छोटू तथा मु०अ०सं०–216 सन् 2021 में अभियुक्त मोहित उर्फ अमित उर्फ लाला के विरूद्ध धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत पृथक–पृथक आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किये गये। न्यायालय में प्रेषित आरोप पत्रों पर अवर न्यायालय द्वारा **न्यायिक संज्ञान** लिया गया, अभियुक्तगण को तलब किया गया, उनके न्यायालय हाजिर आने पर उन्हें धारा 207 जा०फौ० के अन्तर्गत अभियोजन प्रपत्रों की नकले दी गई। अवर न्यायालय द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रकरणों अन्तर्गत धारा 302/34,504 भा०दं०स० एवं उससे सम्बन्धित प्रकरणों अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम को **उपार्पण आदेशों दिनांकित 19–10–2021** के माध्यम से **सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया।** विद्वान सत्र न्यायाधीश के आदेश के अनुक्रम में उक्त सत्र परीक्षण अन्तरण के माध्यम से इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुए।
(IV)	**सेशन केस सं०– 1337 सन् 2021, सत्र परीक्षण सं०– 776 सन् 2021 में आरोप विरचन की तिथि 04–07–2022**	अभियुक्तगण अरविन्द उर्फ माच्छी पुत्र सुखबीर, मोहित उर्फ अमित उर्फ लाला पुत्र सुखबीर, वरूण पुत्र राकेश व मोहित उर्फ छोटू पुत्र राकेश के न्यायालय हाजिर आने पर विद्वान पूर्वाधिकारी ,विद्वान अपर पूर्व न्यायालय सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय सं०–01 (भ्र०नि०अधि०), मेरठ द्वारा प्रश्नगत मामले में अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध धारा 302/34,504 भा०दं०स० के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया।
	सेशन केस सं०– 1338 सन् 2021, सत्र परीक्षण सं०– 777 सन् 2021 में आरोप विरचन की तिथि 04–07–2022	अभियुक्त अरविन्द उर्फ माच्छी पुत्र सुखबीर के न्यायालय हाजिर आने पर विद्वान पूर्वाधिकारी ,विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय सं०–01 (भ्र०नि०अधि०), मेरठ द्वारा प्रश्नगत मामले में अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया।

	सेशन केस सं०– 1339 सन् 2021, सत्र परीक्षण सं०– 778 सन् 2021 में आरोप विरचन की तिथि 04–07–2022	अभियुक्त मोहित उर्फ छोटू के न्यायालय हाजिर आने पर विद्वान पूर्वाधिकारी ,विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय सं०–01 (भ्र०नि०अधि०), मेरठ द्वारा प्रश्नगत मामले में अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया।
	सेशन केस सं०– 1340 सन् 2021, सत्र परीक्षण सं०– 779 सन् 2021 में आरोप विरचन की तिथि 04–07–2022	अभियुक्त मोहित उर्फ अमित उर्फ लाला के न्यायालय हाजिर आने पर विद्वान पूर्वाधिकारी ,विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय सं०–01 (भ्र०नि०अधि०), मेरठ द्वारा प्रश्नगत मामले में अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण अरविन्द उर्फ माच्छी पुत्र सुखबीर, मोहित उर्फ अमित उर्फ लाला पुत्र सुखबीर, वरूण पुत्र राकेश व मोहित उर्फ छोटू पुत्र राकेश द्वारा उनके विरूद्ध अधिरोपित आरोपों से इंकार किया गया एवं विचारण की माँग की गयी।

<u>अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य</u>

(V)		
	प्रदर्श क-01	लिखित तहरीर
	प्रदर्श क-02	चिक एफ०आई०आर, मु०अ०सं०-211 सन् 2021
	प्रदर्श क-03	कायमी मुकदमा जी०ड़ी० मु०अ०सं०-211 सन् 2021
	प्रदर्श क-04	शव विच्छेदन आख्या मृतक अशोक कुमार
	प्रदर्श क-05	शव विच्छेदन आख्या मृतक दीपक उर्फ भोलू
	प्रदर्श क-06	चिक एफ०आई०आर, मु०अ०सं०-214 सन् 2021
	प्रदर्श क-07	कायमी मुकदमा जी०ड़ी०, मु०अ०सं०-214 सन् 2021
	प्रदर्श क-08	चिक एफ०आई०आर, मु०अ०सं०-215 सन् 2021
	प्रदर्श क-09	कायमी मुकदमा जी०ड़ी०, मु०अ०सं०-215 सन् 2021
	प्रदर्श क-10	चिक एफ०आई०आर, मु०अ०सं०-216 सन् 2021
	प्रदर्श क-11	कायमी मुकदमा जी०ड़ी०, मु०अ०सं०-216 सन् 2021
	प्रदर्श क-12	पंचानामा मृतक दीपक उर्फ भोलू
	प्रदर्श क-13	फोटोनाश, मृतक दीपक उर्फ भोलू
	प्रदर्श क-14	आरक्षक प्रपत्र सं०-13, मृतक दीपक उर्फ भोलू
	प्रदर्श क-15	नमूना मोहर
	प्रदर्श क-16	चिट्ठी आर०आई०
	प्रदर्श क-17	चिट्ठी सी०एम०ओ० सं०-01

	प्रदर्श क-18	चिट्ठी सी०एम०ओ० सं०-02
	प्रदर्श क-19	चिकित्सीय परीक्षण आख्या मृतक अशोक कुमार
	प्रदर्श क-20	पंचानामा मृतक अशोक कुमार
	प्रदर्श क-21	नक्शा नजरी मु०अ०सं०-211 सन् 2021
	प्रदर्श क-22	फर्द बरामदगी, मु०अ०सं०-214 सन् 2021
	प्रदर्श क-23	फर्द बरामदगी, मु०अ०सं०-215 सन् 2021
	प्रदर्श क-24	फर्द बरामदगी, मु०अ०सं०-216 सन् 2021
	प्रदर्श क-25	नक्शा नजरी बरामदगी स्थल
	प्रदर्श क-27	04 अदद सील पुलिन्दे
	प्रदर्श क-28	फर्द बरामदगी बाबत 01 अदद ड़ण्ड़ा
	प्रदर्श क-29	नक्शा नजरी बरामदगी स्थल ड़ण्ड़ा
	प्रदर्श क-30	विवेचक द्वारा उपखण्ड़ अधिकारी विद्युत वितरण खण्ड़ परीक्षिगढ़ को प्रेषित पत्र
	प्रदर्श क-31	आरोप पत्र बाबत मु०अ०सं०-211 सन् 2021
	प्रदर्श क-32	फोटोनाश बाबत मृतक अशोक कुमार
	प्रदर्श क-33	चिट्ठी सी०एम०ओ० बाबत मृतक अशोक कुमार
	प्रदर्श क-34	चिट्ठी आर०आई० बाबत मृतक अशोक कुमार
	प्रदर्श क-35	नमूना मोहर बाबत मृतक अशोक कुमार
	प्रदर्श क-36	आरक्षक प्रपत्र बाबत मृतक अशोक कुमार
	प्रदर्श क-37	नक्शा नजरी, मु०अ०सं०-214 सन् 2021
	प्रदर्श क-38	नक्शा नजरी, मु०अ०सं०-215 सन् 2021
	प्रदर्श क-39	नक्शा नजरी, मु०अ०सं०-216 सन् 2021
	प्रदर्श क-40	अभियोजन स्वीकृती आदेश, मु०अ०सं०-214 सन् 2021
	प्रदर्श क-41	अभियोजन स्वीकृती आदेश, मु०अ०सं०-216 सन् 2021
	प्रदर्श क-42	अभियोजन स्वीकृती आदेश, मु०अ०सं०-215 सन् 2021
	प्रदर्श क-43	आरोप पत्र, मु०अ०सं०-214 सन् 2021
	प्रदर्श क-44	आरोप पत्र, मु०अ०सं०-215 सन् 2021
	प्रदर्श क-45	आरोप पत्र, मु०अ०सं०-216 सन् 2021

<u>अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत भौतिक साक्ष्य</u>

(VI)	वस्तु प्रदर्श-01	अभियुक्त अमित उर्फ मोहित उर्फ लाला की निशानदेही पर बरामद बन्दूक 12 बोर
	वस्तु प्रदर्श-02	बड़ा माल पुलिन्दा (सफेद कपड़ा) जिसमें से प्रश्नगत प्रकरण की घटना कारित करने में प्रयुक्त 03 अदद आलाकत्ल व अन्य सामान बरामद हुआ

	वस्तु प्रदर्श-03	अभियुक्त मोहित उर्फ छोटू की निशादेही पर बरामद तमंचा 315 बोर
	वस्तु प्रदर्श-04	अभियुक्त अरविन्द उर्फ माच्छी की निशादेही पर बरामद तमंचा 12 बोर
	वस्तु प्रदर्श-05	सफेद लिफाफा जिसमें से 02 अदद खोखे कारतूस 315 व 03 अदद खोखे 12 बोर
	वस्तु प्रदर्श-06 व 07	02 अदद खोखे कारतूस 315 बोर
	वस्तु प्रदर्श-08, 09 व 10	03 अदद खोखे कारतूस 12 बोर
	वस्तु प्रदर्श-11	01 अदद चली बुलेट 315 बोर
	वस्तु प्रदर्श-12	छोटा कागज जिसमें से 01 अदद चली बुलेट 315 बोर निकली
	वस्तु प्रदर्श-13	बड़ा कागज जिस पर 01 अदद चली बुलेट 315 बोर लिखा था
	वस्तु प्रदर्श-14	उपरोक्त वर्णित सफेद लिफाफे से निकली पन्नी
	वस्तु प्रदर्श-15, 16, 17 व 18	04 अदद खोखे कारतूस
	वस्तु प्रदर्श-19 व 20	02 अदद फायरशुदा 315 बोर की बुलेट
	वस्तु प्रदर्श-21 व 22	02 अदद खोखे 315 बोर
	वस्तु प्रदर्श-23	लिफाफा जिसमें से 04 अदद खोखे कारतूस, 02 अदद फायरशुदा 315 बोर की बुलेट व 02 अदद खोखे 315 बोर निकले
	वस्तु प्रदर्श-24	07 अदद छोटे लेड़ धातु के छर्रे
	वस्तु प्रदर्श-25	नीली सफेद पन्नी जिसके अन्दर से 07 अदद छोटे लेड़ धातु के छर्रे निकले
	वस्तु प्रदर्श-26	कागज जिस पर 07 अदद छोटे लेड़ छर्रे लिखा हुआ था
	वस्तु प्रदर्श-27	प्लास्टिक का ड़िब्बा जिससे 07 अदद छोटे लेड़ धातु के छर्रे, उपरोक्त वर्णित पन्नी व कागज निकले
	वस्तु प्रदर्श-28	07 अदद चले छोटे लेड़ धातु के छर्रे
	वस्तु प्रदर्श-29	छोटा कागज जो 07 अदद चले छोटे लेड़ धातु के छर्रे के साथ दूसरे ड़िब्बे से निकला
	वस्तु प्रदर्श-30	बड़ा कागज जो 07 अदद चले छोटे लेड़ धातु के छर्रे के साथ दूसरे ड़िब्बे से निकला
	वस्तु प्रदर्श-31	07 अदद लाल रंग 12 बोर के पैलेट्स
	वस्तु प्रदर्श-32	पन्नी जिसके अन्दर से 07 अदद लाल रंग 12 बोर के पैलेट्स निकले
	वस्तु प्रदर्श-33	सफेद प्लास्टिक का ड़िब्बा जिससे 07 अदद चले छोटे लेड़ धातु के छर्रे, छोटा कागज, बड़ा कागज व पन्नी नकली
	वस्तु प्रदर्श-34	सूती का कपड़ा जो मृतक दीपक उर्फ भोलू के

		जी०एस०आर० के एन्ट्री वाऊंड़ का स्वैब
	वस्तु प्रदर्श-35	प्लास्टिक का ड़िब्बा जिससे मृतक दीपक उर्फ भोलू का उक्त सूती का कपड़ा निकला
	वस्तु प्रदर्श-36	मु०अ०सं०-216 सन् 2021 से सम्बन्धित माल पुलिन्दा (कपड़ा)
	वस्तु प्रदर्श-37	मु०अ०सं०-215 सन् 2021 से सम्बन्धित माल पुलिन्दा (कपड़ा)
	वस्तु प्रदर्श-38	मु०अ०सं०-214 सन् 2021 से सम्बन्धित माल पुलिन्दा (कपड़ा)
	वस्तु प्रदर्श-39	मु०अ०सं०-211 सन् 2021 से सम्बन्धित माल पुलिन्दा (कपड़ा)
	वस्तु प्रदर्श-40	अभियुक्त वरूण से बरामद ड़ण्ड़ा
	वस्तु प्रदर्श-41	माल पुलिन्दे का कपड़ा जिसमें से अभियुक्त वरूण से बरामद ड़ण्ड़ा निकला
	वस्तु प्रदर्श-42	मृतक का कलाई का बैंड़
	वस्तु प्रदर्श-43	मृतक की काली शर्ट
	वस्तु प्रदर्श-44	मृतक की नीले रंग की जींस
	वस्तु प्रदर्श-45	मृतक का खून से लथपथ बनियान
	वस्तु प्रदर्श-46	खून आलूदा मिट्टी
	वस्तु प्रदर्श-47	ड़िब्बा खून आलूदा मिट्टी
	वस्तु प्रदर्श-48	माल पुलिन्दा कपड़ा जिससे मृतक दीपक उर्फ भोलू के कपड़े निकले
	वस्तु प्रदर्श-49	मिट्टी सादा
	वस्तु प्रदर्श-50	ड़िब्बा मिट्टी सादा
	वस्तु प्रदर्श-51	कपड़ा ड़िब्बा मिट्टी सादा निकला
	वस्तु प्रदर्श-52	माल पुलिन्दा जिसमें से सारा माल निकला

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य

(VII)		
	पी०डब्लू०-01	श्रीमती ड़िम्पल
	पी०डब्लू०-02	संजय कुमार
	पी०डब्लू०-03	कॉ० राजकुमार
	पी०डब्लू०-04	ड़ा० विपुल कुमार
	पी०डब्लू०-05	ड़ा० धीरज कुमार निम
	पी०डब्लू०-06	एच०एम० सुधीर कुमार
	पी०डब्लू०-07	उ०नि० सत्यवीर सिंह

	पी०डब्लू०-08	ड़ा० श्याम कुमार
	पी०डब्लू०-09	चरन सिंह
	पी०डब्लू०-10	अजीत सिंह
	पी०डब्लू०-11	निरीक्षक आनन्द प्रकाश मिश्रा
	पी०डब्लू०-12	उ०नि० सुरेश बाबू
	पी०डब्लू०-13	उ०नि० उदय भान

(VIII)	दिनांक 05-04-2025	**अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया।** धारा 313 दं०प्र०सं० के बयान में अभियुक्तगण की ओर से उन्हें प्रश्नगत मामले में झूठा फंसाए जाने का कथन करते हुए उनके विरूद्ध झूठी व गलत बरामदगी दिखाये जाने एवं विवेचक द्वारा गलत ढ़ंग से विवेचना करते हुए गलत कागज साबित किये जाने का कथन किया गया है, साथ ही साथ कथन किया गया है कि उनके द्वारा कोई हत्या कारित नहीं की गयी थी। गांव की पार्टीबाजी के कारण उन्हें झूठा फंसाया गया है। रात की घटना बतायी गयी है। घटना अन्जान व्यक्ति द्वारा कारित की गयी है। उनके द्वारा अपराध कारित नही किया गया है।
	अतिरिक्त बयान अभियुक्तगण अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० दिनांक 19-04-2025	अतिरिक्त बयान अभियुक्तगण अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० में अभियुक्तगण द्वारा कथन किया गया है कि उनसे किसी प्रकार के आलाकत्ल की बरामदगी नही हुयी है। पुलिस वालों ने थान से आलाकत्ल फायरिंग खोका कारतूस साथ भेजे हैं। पुलिस ने स्वंय हथियार चलाकर वही खोके विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे तथा तब उनकमा मिलनान उन्हीं हथियारों से कराया जो पुलिस ने अपने पास से उन पर थाने से लगाये तथा यह साक्ष्य पुलिस ने अपने पास से थाने पर तैयार किया है। बचाव पक्ष की ओर से सफाई में मौखिक साक्ष्य के रूप में डी0डब्लू–1 योगेन्द्र कुमार को परीक्षित कराया गया है।

3– अभियोजन साक्षी पी०ड्ब्लू०-01 श्रीमती ड़िम्पल जो प्रश्नगत प्रकरण की वादिनी मुकदमा तथा मृतक दीपक उर्फ भोलू की पत्नी है, के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि गांव के अरविंद उर्फ माच्छी के परिवार से हमारी कोई पार्टी-बाजी नहीं चल रही थी। हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। अगर ये रखते हो तो ये जाने, अरविंद उर्फ माच्छी, अमित उर्फ लाला पुत्र सुखबीर, वरुण, मोहित, छोटे उर्फ राकेश रंजिश रखते हो तो ये जाने। मेरा आदमी किसी से रंजिश नहीं रखता था। घटना दिनांक 20.06.2021 दिन रविवार समय करीब 09:00 बजे रात की है। उसके पति दीपक उनके दोस्त नीटू व अशोक के साथ जंगल को साथ गए थे और घर के लिए आ रहे थे जब वह महेंद्र पुत्र भूण्ड़िया के मकान के पास पहुंचे तो अरविंद उर्फ माच्छी, अमित उर्फ लाला, वरुण व मोहित उर्फ छोटे

और उनके साथ कुछ अज्ञात व्यक्ति अपने हाथों में तमंचे सरिये व बंदूको से मेरे पति दीपक उर्फ भोलू और उनके दोस्त अशोक व नीटू पर एक राय होकर जान से मारने की नीयत से गोली बरसा दी। शोर सुनकर मैं तथा संजय पुत्र हरबीर मौके पर पहुंचे तो ये दोनों जमीन पर पड़े थे जिसमें मेरे पति की मौके पर ही मौत हो गई थी। अशोक गंभीर रूप से घायल हो गया था तथा उसे होश नहीं था। जब हम वहां पर पहुंचे तो इन लोगों ने उन पड़े हुए दोनों पर उनके सामने भी गोलियां मारी थी। अशोक व नीटू को उनके परिवार वालों ने ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया था। पुलिस को किसने फोन किया उसे नहीं पता है। उसके 15-20 मिनट बाद पुलिस आ गई थी। इस साक्षी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं०-4 अ/3 लिखित तहरीर (उसके भाई कृष्ण द्वारा लिखित) पर उसके हस्ताक्षर होने का कथन करते हुए लिखित तहरीर को प्रदर्श क-01 के रूप में साबित करते हुए अग्रेतर कथन किया गया है कि पुलिस द्वारा उसका बयान दो दिन बाद लिया था। इस साक्षी द्वारा हाजिर अदालत अभियुक्तगण को देखकर कहा कि ये सभी उसके गांव के हैं। वह इन्हें जानती है तथा इन्होंने ही दिनांक 20.06.2021 की रात्री 09:00 बजे उसके पति को गोली मारी थी तथा उनके साथी को भी गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था जिसकी बाद में मृत्यु हो गई थी।

(I) इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत प्रति परीक्षा की गयी है जिसका उल्लेख निर्णय में यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

4- अभियोजन साक्षी पी०ड्ब्लू०-02 संजय कुमार जोकि मृतक अशोक कुमार उर्फ नीटू का भाई है, के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि मेरे भाई का नाम अशोक कुमार उर्फ नीटू था। दिनांक 20.06.2021 की बात है। मेरा भाई अशोक शाम के समय अपने पड़ोसी दीपक के साथ खेत पर गया था। खेत से लौटते समय रात्रि करीब 09:00 बजे जैसे ही दोनों धर्मेंद्र भूण्ड़िया के मकान के सामने से गुजर रहे थे तभी अरविंद उर्फ माच्छी व उसका भाई अमित उर्फ लाला पुत्र सुखबीर, वरुण और उसका भाई मोहित, छोटू पुत्र राकेश सभी ने अपने-अपने हाथों में लिए तमंचे व बंदूक से गोलियां बरसाकर अशोक व दीपक को घायल कर दिया जिसमें दीपक उर्फ भोलू की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी तथा मेरा भाई अशोक गंभीर रूप से घायल हो गया था जिसे हम पड़ोस के भाई सोनू की गाड़ी में लेकर आनंद अस्पताल पहुंचे। दिनांक 30.06.2021 को इलाज के दौरान अशोक की मृत्यु हो गई। इन चारों लोगों को गोली चलाते हुए व मारते हुए उसने अपनी आंखों से देखा था।

(I) इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत प्रति परीक्षा की गयी है जिसका उल्लेख निर्णय में यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

5- अभियोजन साक्षी पी०ड्ब्लू०-03 कॉ० राजकुमार, के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक 20.06.2021 को मैं थाना परीक्षितगढ़ में बतौर कांस्टेबल/क्लर्क तैनात था। दिनांक 21.06.2021 को वादिया डिंपल पत्नी दीपक मय हमराहीमान नीरज आदि के साथ समय करीब 00.44 बजे थाना कार्यालय आकर एक लिखित तहरीर, जिस पर वादिया के हस्ताक्षर थे, दी थी। उक्त लिखित तहरीर के आधार पर चिक किता करके अभियुक्तगण अरविन्द उर्फ मच्छी पुत्र सुखबीर, मोहित उर्फ अमित उर्फ लाल पुत्र सुखबीर, वरुण पुत्र राकेश, मोहित छोटू पुत्र राकेश के विरूद्ध मु०अ०सं० 211/2021 धारा 147,148,149,302,307,504, भा०द०सं० पंजीकृत किया गया तथा चिक किता की गई थी। उपरोक्त चिक मेरे द्वारा बोल-बोलकर कंप्यूटर ऑपरेटर से कंप्यूटर पर

किता कराई गई थी। उक्त मुकदमा कायमी का खुलासा उसके द्वारा जी०डी० नं०-03 समय 00.40 बजे दिनांक 21.06.2021 को किया गया था। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से चिक एफ०आई०आर० व कायमी मुकदमा जी०ड़ी० को क्रमशः प्रदर्श क-02 व क-03 के रूप में साबित किया गया है।

(I) इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत प्रति परीक्षा की गयी है जिसका उल्लेख निर्णय में यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

6- अभियोजन साक्षी पी०डब्लू–04, डा० विपुल कुमार के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया है कि उसके द्वारा अशोक कुमार पुत्र हरवीर सिंह के शव का शव विच्छेदन किया गया था। शव विच्छेदन आख्या सं०–726/2021, शव प्राप्त करने का समय 06.25 PM, दिनांक 30.06.2021, शव परीक्षण प्रारभ करने का समय 06.30 PM दिनांक 30.06.2021 शव विच्छेदन परीक्षण पूरा करने का समय 07.10 PM दिनांक 30.06.2021 शव लाने वाले एवं पहचान करने वाले पुलिसकर्मी का नाम सी०पी० 411 ज्ञानेन्दर मलिक एंव जितेन्दर कुमार थाना परीक्षितगढ। शिनाख्त करने वाले साक्षियों का नाम संजय कुमार पुत्र हरवीर सिंह (भाई) व विपिन पुत्र महराज (चचेरा भाई)। अस्पताल से प्राप्त शवो के प्रकरण में अस्पताल के अभिलेख अनुसार विवरण अनवेषण प्रपत्र 11। शारीरिक बनावट मध्यम एंव अच्छी काठी। पहने हुए वस्त्रो का विवरण कोई वस्त्र नहीं। शव में मृत्यु पश्चात परिवर्तन पोस्टमार्टम स्टेनिंग मौजूद थी एंव फिक्स थी। मृत्यु पश्चात अकडन पूरे शरीर पर मौजूद थी। आँख एंव मुह बंद था एवं नाखून साइनोस थे। ट्रेक्स्टोमी घाव 1 सेमी० X 1 सेमी० गदन में सामने की तरफ मौजूद था तथा मवाद की पौकेट थी।

<u>एंटीमोर्टम चोटे</u> :–

<u>चोट सं०–01</u>

बहुत सारे फटी हुई चोटे संख्या लगभग 80 पुरे शरीर में मौजूद थी जिसमें हेड, चेहरा छाती की तरफ कमर पर एंव दोनो पैरो पर घावो को खोलने पर मैटेलिक पैलेट्स पाये गये। घावों का आकार 0.5 सेमी० X 0.5 सेमी०खुरंड़ के साथ मौजूद था।

<u>चोट सं०–02</u>

खुरचन वाली चोट 3 सेमी० X 2 सेमी० दाये घुटने पर खुरंट के साथ मौजूद था।

<u>आंतरिक चोटे</u> :–

दिमाग की झिल्ली कंजेस्टड एंव जमा हुआ खून मौजूद था। मस्तिष्क में जमा हुआ रक्त एवं कंजेस्टड पाया गया। दोनों फेफडे कंजेस्टड तथा मल्टीपल मवाद की पौकेट्स पायी गयी। हृदय के दोनों चैम्बर फूले थे। अमाशय में 100 एम०एल० पानी जैसा फुयड मौजूद था। छोटी आंत गैस एंव मल पदार्थ मौजूद था। बड़ी आंत गैस एंव मल पदार्थ मौजूद थे। लीवर कंजेस्टड था एवे पिताश्य फुल था। प्लीहा कंजेस्टड थी। अग्नाशय कंजेस्टड था दोनो गुर्दे कंजस्टेड थे। मूत्राशय खाली था। मृत्यु संभावित समय लगभग आधा दिन। मृत्यु का कारण कोमा एंटीमोर्टम फायर आर्म इंजरी के कारण। चोटे स्वंय कारित नहीं की गई। चोटे स्वाभाविक रूप से विकसित होने पर मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। सात मैटेलिक पैलेट को जार में सील किया गया एंव आन ड्यूटी कांस्टेबल को दे दिया गया। सील का नमूना अनवेषण प्रपत्रो की सं० 12, शव विच्छेदन आख्या की मूल प्रति 01 प्लस 02 प्लस 01 बराबर 41 सी०पी० ज्ञानेन्दर मलिक आरक्षी को सुपुर्द किया गया। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से मृतक अशोक कुमार की शव विच्छेदन परीक्षण आख्या उसके द्वारा तैयार करने तथा उक्त आख्या पर उसके हस्ताक्षर होने का कथन करते हुए हुए शव विच्छेदन परीक्षण आख्या को प्रदर्श क–04 के रूप में साबित किया गया है।

(I) इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत प्रति परीक्षा की गयी है

जिसका उल्लेख निर्णय में यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

7- अभियोजन साक्षी पी०ड्ब्लू०–05, डा० धीरज कुमार निम के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया है कि दिनांक 21.06.2021 को उसकी ड्यूटी चीर घर (पोस्टमार्टम हाऊस) पर लगी थी। जब कॉ० 370 रजनीश कुमार व होमगार्ड सतीश कुमार थाना परीक्षितगढ मेरठ से मृतक दीपक उर्फ भोलू पुत्र संजय त्यागी के शव को शव विच्छेदन हेतू लाया गया। मृतक की पहचान उसके सम्बन्धी राकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश त्यागी (चाचा) व ओमकार त्यागी पुत्र सुलगा सिंह (दादा) ने की थी। उसके द्वारा मृतक का शव विच्छेदन शाम 04.30 बजे शुरू कर दिया व शाम को 05.15 मिनट पर समाप्त कर दिया।

बाह्य परीक्षण :– शव विच्छेदन के समय बाह्य परीक्षण में मृतक के शरीर पर एक टी–शर्ट, बनियान, रबड का कलाई का छल्ला, जीन्स, बेल्ट के साथ व एक अंडरवियर मौजूद था। मृत्यु पश्चात लालीमा मृतक के शरीर के निचले भाग पर मौजूद थी। मृत्यु पश्चात अकड़न पूरे शरीर पर मौजूद थी।

मृतक के शरीर पर निम्न चोटे पायी गयी थी :–

चोट सं०–01

एक खुली चोट 4 सेमी० X 2.5 सेमी० किनारे अंदर को मुडे हुए छाती के अंदर से जुडी हुई, छाती के बाँयी तरफ बायी चूचक से 3 सेमी० बाहर की ओर मौजूद थी। रक्त जलित तरल बह रहा था। किसी प्रकार की कोई कालिक अथवा टैटूयिंग नहीं मौजूद थी।

चोट सं०–02

लाल घिसटदार नीलगू निशान 4 सेमी० X 1 सेमी० माथे के बायी तरफ मौजूद था।

चोट सं०–03

तीन खुली चोटें 0.5 सेमी० X 0.5 सेमी० गहराई नहीं नापी गई, हर एक माथे के बीचो बीच मौजूद थी।

चोट सं०–04

अनेको 56 खुली चोटे 0.5 सेमी० X 0.5 सेमी० गहराई नहीं नापी गई, गर्दन के बाई तरफ, दोनो तरफ सीने के सामने व बाहरी भाग पर, व बाई तरफ सीने के पीछे की ओर व दाई तरफ पेट के सामने की तरफ मौजूद थी।

चोट सं०–05

अनेको 17 खुली चोटे 0.5 सेमी० X 0.5 सेमी० दाएँ बाजू के बाहरी व पीछे वाले भाग पर अग्र बाजू पर व दाएँ पर मौजूद थी। गहराई नहीं नापी गई, हाथ के पीछे वाले भाग पर मौजूद थी।

चोट सं०–06

अनेको 27 खुली चोटे 0.5 सेमी० X 0.5 सेमी० गहराई नहीं नापी गई, दाँयी जंघा के बाहरी भाग पर, दाएँ घुटने व टांग के सामने वाले भाग पर मौजूद थी।

चोट सं०–07

एक खुली चोट 0.5 सेमी० X 0.5 सेमी० गहराई नहीं नापी गई, बाई बाजू के सामने वाले भाग पर मौजूद थी।

चोट सं०–03 से लेकर 07 तक कोई कालिख अथवा टैटूडिंग नहीं पायी गई।

आंतरिक परीक्षण :–

आंतरिक परीक्षण में मस्तिषक का रंग हल्का पड गया था। परीफूफुस गुहा में लगभग दो लिटर रक्त मौजूद था। दोनों तरफ के फेफडे हल्के रंग के व क्षतिग्रस्त हो चुके थे। हृदय के सभी कोष्ठ खाली थे। अमाशय में लगभग पचास मि०लि० अधपचा खाना मौजूद था। पिताशय आधा भरा था। यकृत प्लीहा अग्नाशय व दोनों तरफ के गुरदे हल्के रंग के पड़ गये थे।

मृतक के शरीर से 07 पैलेट्स निकाली गई व सील करके फोरेन्सिक परीक्षण हेतू व जी०एस०आर के लिए मृतक के दोनों हाथों से सैम्प्ल लेकर सील करके दो एक्सरे फिल्म सील करके रिपोर्ट सहित साथ आये पुलिसकर्मी को दिये गये। उसकी राय में मृत्यु का संभावित समय लगभग आधे दिन से लेकर एक दिन के भीतर है व मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व आग्नेयास्त्र के कारण आयी चोट के कारण सदमा व अत्यधिक रक्त स्राव होना है।

इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से मृतक दीपक की शव विच्छेदन परीक्षण आख्या उसके द्वारा तैयार करने तथा उक्त आख्या पर उसके हस्ताक्षर व मोहर होने का कथन करते हुए हुए उक्त शव विच्छेदन परीक्षण आख्या को प्रदर्श क–05 के रूप में साबित किया गया है।

(I) इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत प्रति परीक्षा की गयी है जिसका उल्लेख निर्णय में यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

8- अभियोजन साक्षी पी०ड्ब्लू०-06 एच० एम० सुधीर कुमार के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक 24.06.2021 को वह थाना परीक्षितगढ़ पर जी०डी० कार्यालय पर तैनात था। उस दिन वह सुबह 08.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक कार्यालय पर उपस्थित था। उस दिन उसके द्वारा थाना प्रभारी निरीक्षक आनंद प्रकाश मिश्र की फर्द बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं० 214 सन् 20221, अं०धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम अरविन्द उर्फ माछी पंजीकृत किया था। जिसकी चिक कम्प्यूटर पर उसके द्वारा बोल-बोल कर कम्प्यूटर आपरेटर से अंकित करवाई थी। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से चिक एफ०आई०आर० (सम्बन्धित सैशन केस सं०-1338/21, सत्र परीक्षण सं०-777/21) सरकार बनाम अरविन्द उर्फ माछी की पत्रावली पर कागज सं० 4 अ/1 के रूप में शिनाख्त करते हुए प्रश्नगत चिक एफ०आई०आर० को प्रदर्श क-06 के रूप में साबित करते हुए अग्रेतर कथन किया गया है कि उक्त मुकदमा कायमी का खुलासा उसके द्वारा जी०डी० नं०-22 समय 10.05 बजे दिनांक 24.06.2021 को किया गया था। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से प्रश्नगत कायमी मुकदमा जी०ड़ी० को प्रदर्श क-07 के रूप में साबित करते हुए अग्रेतर कथन किया गया है कि दिनांक 24.06.2021 को ही उसके द्वारा थाना प्रभारी निरीक्षक आनंद प्रकाश मिश्र की फर्द बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं० 215 सन् 2021, अं०धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम मोहित उर्फ छोटू पंजीकृत किया था। जिसकी चिक कम्प्यूटर पर उसके द्वारा बोल-बोल कर कम्प्यूटर आपरेटर से अंकित करवाई थी। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से चिक एफ०आई०आर० (सम्बन्धित सैशन केस सं०-1339/21, सत्र परीक्षण सं०-778/21) सरकार बनाम मोहित उर्फ छोटू की पत्रावली पर कागज सं० 4 अ/1 के रूप में शिनाख्त करते हुए प्रश्नगत चिक एफ०आई०आर० को प्रदर्श क-08 के रूप में साबित करते हुए अग्रेतर कथन किया गया है कि उक्त मुकदमा कायमी का खुलासा उसके द्वारा जी०डी० नं०-22 समय 10.05 बजे दिनांक 24.06.2021 को किया गया था। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से प्रश्नगत कायमी मुकदमा जी०ड़ी० को प्रदर्श क-09 के रूप में साबित करते हुए अग्रेतर कथन किया गया है कि दिनांक 24.06.2021 को ही उसके द्वारा थाना प्रभारी निरीक्षक आनंद प्रकाश मिश्र की फर्द बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं० 216 सन् 2021, अं०धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम मोहित उर्फ अमित उर्फ लाला पंजीकृत किया था। जिसकी चिक कम्प्यूटर पर उसके द्वारा बोल-बोल कर कम्प्यूटर आपरेटर से अंकित करवाई थी। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से चिक एफ०आई०आर० (सम्बन्धित सैशन केस सं०-1340/21, सत्र परीक्षण सं०-779/21) सरकार बनाम मोहित उर्फ अमित उर्फ लाला की पत्रावली पर कागज सं० 4 अ/1 के रूप में शिनाख्त करते हुए प्रश्नगत चिक एफ०आई०आर० को प्रदर्श क-10 के रूप में

साबित करते हुए अग्रेतर कथन किया गया है कि उक्त मुकदमा कायमी का खुलासा उसके द्वारा जी०डी० नं०-22 समय 10.05 बजे दिनांक 24.06.2021 को किया गया था। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से प्रश्नगत कायमी मुकदमा जी०ड़ी० को प्रदर्श क-11 के रूप में साबित किया गया है।

(I) इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत प्रति परीक्षा की गयी है जिसका उल्लेख निर्णय में यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

9- अभियोजन साक्षी पी०ड्ब्लू०-07 उ०नि० सत्यवीर सिंह, के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक 20.06.2021 को मैं थाना परीक्षितगढ़ में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। दिनांक 20.062021 की रात को मुझे सूचना मिली थी कि श्रीमती डिंपल पत्नी दीपक के पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर मैं प्रभारी निरीक्षक के साथ थाना हाजा से रवाना होकर घटना स्थल पर पहुंचा था। घटनास्थल पर पहुंचकर पता लगा कि मृतक दीपक व घायल व्यक्ति को मेरठ ले गए हैं। इस पर मैं मय फोर्स मेरठ मेडिकल कॉलेज पहुंचा था। मृतक दीपक का शव मेरठ मेड़िकल कॉलेज परिसर में बने चीरघर पर रखा था एवं परिवारजन तथा रिश्तेदार मौजूद थे। प्रभारी निरीक्षक श्री आनंद प्रकाश मिश्र के निर्देशन में मेरे द्वारा पंचो के समक्ष ही पंचायतनामें की कार्यवाही पूर्ण की गयी थी। पंचायतनामें की कार्यवाही के पश्चात दीपक के शव का पोस्टमार्टम कराने हेतु अ ावश्यक कागजात तैयार करने बाद शव को सील सर्वे मोहर कर आरक्षी रजनीश कुमार व होमगार्ड सतीष कुमार के सुपुर्द किया गया था। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से पंचायतनामा, फोटोनाश, चालान नाश, नमूना मोहर, रिपोर्ट आर०आई०, रिपोर्ट सी०एम०ओ० तथा रिपोर्ट सी०एम०ओ० कागज सं०-11 अ/12 उसके द्वारा तैयार किये जाने तथा उक्त प्रपत्रों पर उसके हस्ताक्षर होने के साथ साथ उक्त प्रपत्रों को क्रमशः प्रदर्श क-12, प्रदर्श क-13, प्रदर्श क-14, प्रदर्श क-15, प्रदर्श क-16, प्रदर्श क-17 व प्रदर्श क-18 के रूप में साबित किया गया है।

(I) इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत प्रति परीक्षा की गयी है जिसका उल्लेख निर्णय में यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

10- अभियोजन साक्षी पी०ड्ब्लू०-08 डा० श्याम कुमार की साक्ष्य है कि दिनांक 20.06.2021 को मैं आनंद अस्पताल में बतौर जनरल सर्जन कार्यरत था। उस दिन रात्रि समय 10:15 पी०एम० पर उसने मरीज अशोक कुमार जिसको उसका भाई संजय कुमार लेकर आया था, का परीक्षण करने पर पाया कि मरीज के शरीर पर आग्नेयास्त्र की बहुत सारी चोटें उसके चेहरे, छाती, कमर और खोपड़ी, के ऊपर थी। सिर और दोनों आँखों में भी चोट थी और आग्नेयास्त्र के कारण उसकी दोनो आँखे चोटिल थी। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से एम०एल०सी० रिपोर्ट मरीज अशोक कुमार उसके द्वारा तैयार किये जाने, उसके हस्तलेख में होने तथा उस पर उसके हस्ताक्षर होने का कथन करते हुए प्रश्नगत एम०एल०सी० रिपोर्ट को प्रदर्श क-19 के रूप में साबित किया गया है।

(I) इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत प्रति परीक्षा की गयी है जिसका उल्लेख निर्णय में यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

11- अभियोजन साक्षी पी०ड्ब्लू०-09 चरन सिंह जोकि मृतक अशोक के पंचायतनामें का गवाह है, के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि हमारे गांव के अशोक उर्फ

नीटू पुत्र हरवीर को दिनांक 20.06.2021 की रात्रि गोली लगने से आयी चोटो के कारण दिनांक 30.06.2021 को इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी जिनका पंचनामा पुलिस के द्वारा भरा गया था और पुलिस ने पंचायतनामे में मेरे सहित पांच लोग पंच नियुक्त किये थे। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से पंचायतनामे पर उसके हस्ताक्षर होने का कथन करते हुए पंचायतनामे को प्रदर्श क-20 के रूप में साबित किया गया है।

(I) इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत प्रति परीक्षा की गयी है जिसका उल्लेख निर्णय में यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

12- अभियोजन साक्षी पी०ड्ब्लू०-10 अजीत सिंह जोकि मृतक दीपक उर्फ भोलू के पंचायतनामें का गवाह है, के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक 20.06.2021 को मैं अपने घर पर मौजूद था। गोली चलने की आवाज सुनाई दी और थोड़ी देर बाद शोर शराबा सुनाई दिया तो मैं भी मौके पर पहुँच गया तो मैंने देखा कि दीपक को गोली लगी थी। दीपक को भोलू भी कहते है। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस ने मृतक का पंचायतनामा भरते समय पंचाग नियुक्त किये थे। जिसमें मेरा नाम भी लिखा था और पंचायतनामें पर मेरे हस्ताक्षर भी कराये थे। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से प्रश्नगत पंचायतनामे पर उसके हस्ताक्षर होने का कथन किया गया है।

(I) इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत प्रति परीक्षा की गयी है जिसका उल्लेख निर्णय में यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

13– अभियोजन साक्षी पी०ड्ब्लू०-11 निरीक्षक आनन्द प्रकाश मिश्रा जोकि प्रश्नगत प्रकरण का विवेचक है, के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि मैं दिनांक 20.06.2021 को प्रभारी निरीक्षक परीक्षिगढ़ के पद पर था तथा मु०अ०सं० 211 सन् 2021, धारा 147, 148, 149, 302, 307, 504 की विवेचना मेरे द्वारा संपादित की गई थी। पर्चा नं०-01 दिनांक 21.06.2021 को किता किया गया था तथा इसमें नकल चिक नकल रपट अंकित की गई। इसमें वादनी मुकदमा डिंपल पत्नी मृतक दीपक त्यागी ने थाने आकर एक लिखित तहरीर दी थी जिसके आधार पर उक्त मुकदमा पंजीकृत हुआ था। मैं प्रथम सूचना रिपोर्ट से पूर्व घटना की सूचना पर अन्य पुलिसकर्मीयो के साथ पहुँच चुका था तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की नकल चिक पुलिसकर्मी द्वारा घटना स्थल पर ही मुझे प्राप्त हुई थी। बयान एफ०आई०आर लेखक अंकित किया गया तथा मृतक दीपक त्यागी का पंचायतनामा मौके पर ही मेरे निर्देशन में भरा गया था तथा एफ०एस०एल० टीम को भी मेरे द्वारा मौके पर बुलवाया गया था। दो अदद पुलिन्दे सील सर्वे मोहर जिसमें मिट्टी सादा व खून आलूदा एक पुलिंदे में जिसमें दस खोके कारतूस जिसमें दो खोके कारतूस 12 बोर व एक खोका कारतूस 315 बोर व एक बुलेट 315 बोर व सात गिट्टी लाल रंग 12 बोर सील सर्वे मोहर मय नमूना मोहर एस०आई० मो० शाकिर को सुपुर्द किये गये थे जिसको इनके द्वारा थाना कार्यालय में दाखिल किया गया था तथा मैं महिला एस०आई० व अन्य कर्मचारीगण के साथ बयान हेतु गया परंतु शोक सन्तृप्त होने के कारण वह इस स्थिति में नही थी की बयान दे सकें परंतु उनके द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करा दिया गया। नक्शा नजरी मौके पर तैयार किया गया। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से नक्शा नजरी को प्रदर्श क-21 के रूप में साबित करते हुए अग्रेतर कथन किया गया है कि उपस्थित समस्त साक्षियों अमित त्यागी, श्रीकांत त्यागी के बयान भी अंकित किये गये। पर्चा नं०-02 दिनांक 22.06.2021 को किता किया गया। इसमें मूल पी०एम० रिपोर्ट पी०एम० नं० 675 सन् 2021 मृतक दीपक त्यागी

का अवलोकन कर नकल की प्राप्त एक्स-रे फिल्म सील सर्वे मोहर सीडी के साथ संलग्न किया गया। पुनः वादिया डिपंल त्यागी के बयान वादिया के मकान पर जाकर अंकित किये गये। मुकदमा उपरोक्त का पर्चा नं०-03 दिनांक 24.06.2021 को किता किया गया जिसमें वांछित अभियुक्तगण की तलाश हेतु मुखबिर खास की सूचना पर वांछित अभियुक्तगण अरविन्द उर्फ माछी पुत्र सुखवीर, मोहित उर्फ अमित उर्फ लाला पुत्र सुखवीर, मोहित उर्फ छोटू पुत्र राकेश निवासी ग्राम पूठी थाना परीक्षतगढ़ मेरठ को बड़ला डेरी चौराहे के पास से समय करीब 07.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया व इनके बयान अंकित किये गये। अभियुक्तगण द्वारा आला कत्लों को भी अपनी निशादेही पर बरामद कराया गया। जिसकी फर्द मौके पर ही मेरे द्वारा बोल-बोल कर एस०आई० प्रदीप से लैपटोप पर तैयार कराई गई। अभियुक्तगण द्वारा गिरफ्तारी उपरान्त सरकारी गाड़ी से ले जाते समय नहर मार्ग होते हुए पूठी सढ़ला मार्ग की तरफ चल दिये। सढ़ला पुल से करीब 600 मीटर पहले अभियुक्तगण ने गाडी रुकवाकर सीधे हाथ की तरफ कच्चे रास्ते जो पूठी गांव की तरफ जाता है, पर चलकर नहर पर आकर शीशम के पेड़ के नीचे झाडियों में से आलाकत्ल आगे आगे चलकर अभियुक्तगण द्वारा बरामद कराये गये। बरामद असहलों को मौके पर ही नियमानुसार अभियुक्त वार अलग अलग सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया था। जिसका प्रिन्ट निकालने हेतू हेड कांस्टेबल तेजिदंर सिंह को एक पैन ड्राइव देकर मार्केट भेजकर फर्द की कॉपी निकलवाई गई थी जिसे समस्त लोगो के समक्ष पढ़कर सुनाकर गवाही अलामात बनाये गये थे। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से सत्र परीक्षण सं०- 777 सन् 2021, सरकार बनाम अरविन्द उर्फ माछी, अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम की पत्रावली पर उपलब्ध फर्द को प्रदर्श क-22 के रूप में साबित किया गया है। सत्र परीक्षण सं०-778 सन् 2021 सरकार बनाम मोहित उर्फ छोटू अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम मु०अ०सं०-215 सन् 2021 की पत्रावली पर उपलब्ध इसी फर्द की छायाप्रति को इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से प्रदर्श क-23 के रूप में साबित किया गया है। सत्र परीक्षण सं०-779 सन् 2021 सरकार बनाम मोहित उर्फ अमित उर्फ लाला अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनयम, मु०अ०सं० 216 सन् 2021 की पत्रावली पर उपलब्ध मूल फर्द की एक छायाप्रति को इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से प्रदर्श क-24 के रूप में साबित किया गया है। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य में अग्रेतर कथन किया गया है कि नक्शा नजरी मौके पर बनाकर केस डायरी के साथ संलग्न की गई थी। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से नक्शा नजरी को उसके हस्तलेख व उस पर उसके हस्ताक्षर होने का कथन करते हुए नक्शा नजरी को प्रदर्श क-25 के रूप में साबित करते हुए अग्रेतर कथन किया गया है कि अभियुक्तगण को न्यायालय में पेश कर रिमांड प्राप्त किया गया था। दिनांक 08.07.2021 पर्चा सं०-09 किता किया गया जिसमें पंचायतनामा भरने वाले एस०आई० सत्यवीर सिंह व पी०एम० कराने वाले कॉ० रजनीश कुमार व सतीश कुमार के बयान अंकित किये गये तथा पंचान गवाह राहुल त्यागी, अजीत, नीरज त्यागी, हरवीर, राकेश के ब्यान अंकित किये गये। पर्चा नं०-10 दिनांक 09.07.2021 को किता किया गया जिसमें वांछित अभियुक्त वरूण पुत्र राकेश का पर्चा हाजरी रोबकार न्यायालय सी०जे०एम० मेरठ प्राप्त हुआ। इसकी नकल की गई। न्यायालय की अनुमति उपरान्त अभियुक्त वरुण का ब्यान अंकित किया गया जिसमें उसने जुर्म को स्वीकारा तथा घटना के समय उसके द्वारा प्रयुक्त की गई लाठी जिसपर खून लग गया था को भागते समय जंगल में छुपाना बताया था तथा चलकर बरामद कराने हेतु कहा। पर्चा नं०-11 दिनांक 10.07.2021 को किता किया गया। इसमें मृतक अशोक के मूल

पंचनामा व पी०एम० रिपोर्ट थाना कार्यालय से प्राप्त कर इसकी नकल कर सी०डी० के साथ संलग्न किया गया तथा पंचायतनामा भरने वाले एस०आई० सुरेश बाबू व कॉ० ज्ञानेन्द्र मलिक व जितेन्द्र कुमार के बयान अंकित किये गये तथा पंचान गवाह चरन सिंह, ओमी, सुरेन्द्र कुमार, संजय, रामवीर के ब्यान भी अंकित किये गये। पर्चा नं०-12 दिनांक 16.07.2021 को किता किया गया। इसमें 112 कंट्रोल रूम व फोरेन्सिक टीम से क्रमशः घटना स्थल के फोटोग्राफ व घटना के समय जनरेट की इवेंट की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतू रिपोर्ट प्रेषित की गई। एफ०एस०एल० यूनिट द्वारा घटनास्थल के दस फोटो ग्राफ प्राप्त किये जिनको सी०डी० के साथ संलग्न किया गया जो पत्रावली पर हल्का खाकी रंग के लिफाफे के अंदर है, जिस पर चारो तरफ टेप लगी है एंव लिफाफे कागज सं० 83/1 लिखा है जिसको न्यायालय की अनुमति से खोला गया जिसके अंदर से घटनास्थल एंव मृतको के एफ०एस०एल० से प्रमाणित 10 फोटो निकले जो सफेद पन्नी से कवर है। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से फोटोग्राफ घटनास्थल को एफ०एस०एल० टीम दिये लिये जाने का कथन करते हुए फोटोग्राफ घटनास्थल को प्रदर्श क-27 के रूप में साबित किया गया। पर्चा नं०-13 दिनांक 18.07.2021 को किता किया गया। इसमें अभियुक्त वरूण पुत्र राकेश द्वारा पूर्व में बताये गए बयानों के अनुसार आला कत्ल डंडा ग्राम सिखेडा जाने वाले रास्ते पर ओमकार त्यागी के खेत में बने बंद पड़े कोल्हू के रस की होदी में छुपा हुआ डंडा आला कत्ल बरामद किया जिसपर खून के धब्बे लगे थे। इस साक्षी द्वारा बरामद आलाकत्ल डंड़ा की फर्द मौके पर उसके हस्तलेख में बनाई जाने व इस पर उसके हस्ताक्षर होने का कथन करते हुए फर्द बरामदगी को प्रदर्श क-28 के रूप में साबित करते हुए आलाकत्ल बरामदगी घटनास्थल पर बनाई गयी नक्शा नजरी को उसके लेख व उस पर उसके हस्ताक्षर होने का कथन करते हुए नक्शा नजरी आलाकत्ल बरामदगी घटनास्थल को प्रदर्श क-29 के रूप में साबित किया गया है। पर्चा नं०-16 दिनांक 24.07.2021 को उसके द्वारा किता किया गया था जिसमें संबधित माल एफ०एस०एल० भेजे जाने का उल्लेख किया गया है। पर्चा नं०-26 दिनांक 26.08.2021 को किता किया गया जिसमें घटना के समय विद्युत आपूर्ति सुचारू रुप से थी या नहीं की जानकारी प्राप्त करने के लिए रिपोर्ट प्रेषित की गई। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से विद्युत आपूर्ति जानकारी प्राप्त करने सम्बन्धित रिपोर्ट पर उसके हस्ताक्षर होने का कथन करते हुए उक्त रिपोर्ट को प्रदर्श क-30 के रूप में साबित किया गया है। विवेचना के उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्त अरविन्द उर्फ माछी पुत्र सुखवीर 2. मोहित उर्फ अमित उर्फ लाला पुत्र सुखवीर 3. वरुण पुत्र राकेश 4. मोहित उर्फ छोटू पुत्र राकेश के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 179/2021 दिनांक 18/09/2021 अं० धारा 302,504 व 34 IPC न्यायालय में प्रेषित किया गया। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से आरोप पत्र को प्रदर्श क-31 के रूप में साबित किया गया है। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के माध्यम से अभियुक्त अमित उर्फ मोहित उर्फ लाला की निशानदेही पर बरामद बन्दूक 12 बोर को वस्तु प्रदर्श-01, बड़ा माल पुलिन्दा (सफेद कपड़ा) जिसमें से प्रश्नगत प्रकरण की घटना कारित करने में प्रयुक्त 03 अदद आलाकत्ल व अन्य सामान बरामद हुआ, को वस्तु प्रदर्श-02, अभियुक्त मोहित उर्फ छोटू की निशादेही पर बरामद तमंचा 315 बोर को वस्तु प्रदर्श-03, अभियुक्त अरविन्द उर्फ माच्छी की निशादेही पर बरामद तमंचा 12 बोर को वस्तु प्रदर्श-04, सफेद लिफाफा जिसमें से 02 अदद खोखे कारतूस 315 व 03 अदद खोखे 12 बोर निकले, को वस्तु प्रदर्श-05, 02 अदद खोखे कारतूस 315 बोर को क्रमशः वस्तु प्रदर्श-06 व 07, 03 अदद खोखे कारतूस 12 बोर को क्रमशः वस्तु प्रदर्श-08, 09 व 10, 01 अदद चली बुलेट

315 बोर को वस्तु प्रदर्श-11, छोटा कागज जिसमें से 01 अदद चली बुलेट 315 बोर निकली, को वस्तु प्रदर्श-12, बड़ा कागज जिस पर 01 अदद चली बुलेट 315 बोर लिखा था, को वस्तु प्रदर्श-13, उपरोक्त वर्णित सफेद लिफाफे से निकली पन्नी को वस्तु प्रदर्श-14, 04 अदद खोखे कारतूस को क्रमशः वस्तु प्रदर्श-15, 16, 17 व 18, 02 अदद फायरशुदा 315 बोर की बुलेट को क्रमशः वस्तु प्रदर्श-19 व 20, 02 अदद खोखे 315 बोर को क्रमशः वस्तु प्रदर्श-21 व 22, लिफाफा जिसमें से 04 अदद खोखे कारतूस, 02 अदद फायरशुदा 315 बोर की बुलेट व 02 अदद खोखे 315 बोर निकले, को वस्तु प्रदर्श-23, 07 अदद छोटे लेड़ धातु के छर्रें को वस्तु प्रदर्श-24, नीली सफेद पन्नी जिसके अन्दर से 07 अदद छोटे लेड़ धातु के छर्रें निकले को वस्तु प्रदर्श-25, कागज जिस पर 07 अदद छोटे लेड़ छर्रे लिखा हुआ था, को वस्तु प्रदर्श-26, प्लास्टिक का ड़िब्बा जिससे 07 अदद छोटे लेड़ धातु के छर्रें, उपरोक्त वर्णित पन्नी व कागज निकले, को वस्तु प्रदर्श-27, 07 अदद चले छोटे लेड़ धातु के छर्रें को वस्तु प्रदर्श-28, छोटा कागज जो 07 अदद चले छोटे लेड़ धातु के छर्रें के साथ दूसरे ड़िब्बे से निकला, को वस्तु प्रदर्श-29, बड़ा कागज जो 07 अदद चले छोटे लेड़ धातु के छर्रें के साथ दूसरे ड़िब्बे से निकला, को वस्तु प्रदर्श-30, 07 अदद लाल रंग 12 बोर के पैलेट्स को वस्तु प्रदर्श-31, पन्नी जिसके अन्दर से 07 अदद लाल रंग 12 बोर के पैलेट्स निकले, को वस्तु प्रदर्श-32, सफेद प्लास्टिक का ड़िब्बा जिससे 07 अदद चले छोटे लेड़ धातु के छर्रें, छोटा कागज, बड़ा कागज व पन्नी नकली, को वस्तु प्रदर्श-33, सूती का कपड़ा जो मृतक दीपक उर्फ भोलू के जी०एस०आर० के एन्ट्री वाऊंड़ का स्वैब को वस्तु प्रदर्श-34, प्लास्टिक का ड़िब्बा जिससे मृतक दीपक उर्फ भोलू का उक्त सूती का कपड़ा निकला, को वस्तु प्रदर्श-35, मु०अ०सं०-216 सन् 2021 से सम्बन्धित माल पुलिन्दा (कपड़ा) को वस्तु प्रदर्श-36, मु०अ०सं०-215 सन् 2021 से सम्बन्धित माल पुलिन्दा (कपड़ा) को वस्तु प्रदर्श-37, मु०अ०सं०-214 सन् 2021 से सम्बन्धित माल पुलिन्दा (कपड़ा) को वस्तु प्रदर्श-38, मु०अ०सं०-211 सन् 2021 से सम्बन्धित माल पुलिन्दा (कपड़ा) को वस्तु प्रदर्श-39, अभियुक्त वरूण से बरामद ड़ण्ड़े को वस्तु प्रदर्श-40, माल पुलिन्दे का कपड़ा जिसमें से अभियुक्त वरूण से बरामद ड़ण्ड़ा निकला को वस्तु प्रदर्श-41, मृतक का कलाई का बैंड़ को वस्तु प्रदर्श-42, मृतक की काली शर्ट को वस्तु प्रदर्श-43, मृतक की नीले रंग की जींस को वस्तु प्रदर्श-44, मृतक का खून से लथपथ बनियान को वस्तु प्रदर्श-45, खून आलूदा मिट्टी को वस्तु प्रदर्श-46, ड़िब्बा खून आलूदा मिट्टी को वस्तु प्रदर्श-47, माल पुलिन्दा कपड़ा जिससे मृतक दीपक उर्फ भोलू के कपड़े निकले, को वस्तु प्रदर्श-48, सादा मिट्टी को वस्तु प्रदर्श-49, ड़िब्बा मिट्टी सादा को वस्तु प्रदर्श-50, कपड़ा ड़िब्बा मिट्टी सादा निकला, को वस्तु प्रदर्श-51 व माल पुलिन्दा जिसमें से सारा माल निकला, को वस्तु प्रदर्श-52 के रूप में साबित किया गया है।

(I) इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत प्रति परीक्षा की गयी है जिसका उल्लेख निर्णय में यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

14– अभियोजन साक्षी पी०ड्ब्लू०-12 उ०नि० सुरेश बाबु के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक 30.06.2021 को मैं थाना परीक्षितगढ़ पर बतौर एस०आई० तैनात था। उपरोक्त दिनांक को मैंने मृतक अशोक कुमार पुत्र हरवीर सिंह गुर्जर का पंचायतनामा आनन्द अस्पताल गढ़ रोड मेरठ की मोर्चरी मे दोपहर समय करीब 01:00 बजे पंच नियुक्त करके भरा था। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से उक्त पंचायतनामे को उसके लेख व हस्ताक्षर में होने का कथन किया गया है। पंचायतनामे के साथ सम्बन्धित कागजात फोटोनाश, रिपोर्ट CMO, रिपोर्ट RI, नमुना मोहर व चालान नाश भी उसके द्वारा

तैयार किये जाने तथा उसके लेख व हस्ताक्षर में होने तथा जिन पर क्रमशः प्रदर्श क-32 ता क-36 डाले जाने का कथन किया गया है। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य में अग्रेतर कथन किया गया है कि लाश को सील सर्वे मोहर करके मय सम्बन्धित कागजात के हिदायत देते हुये पोस्मार्टम हेतु कॉ० ज्ञानेन्द्र मलिक व होमगार्ड जितेन्द्र कुमार के सुपुर्द किया था।

(I) इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत प्रति परीक्षा की गयी है जिसका उल्लेख निर्णय में यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

15- अभियोजन साक्षी पी०ड्ब्लू०-13 उ०नि० उदयभान, के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक 24.06.2021 को मैं थाना परीक्षितगढ़ पर बतौर एस०आई० (यू०टी०) तैनात था। उपरोक्त दिनांक को थाना परीक्षितगढ पर मु०अ०सं 214 सन् 2021, धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम अरविन्द उर्फ माछी व मु०अ०सं 215 सन् 2021, धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम मोहित उर्फ छोटू व मु०अ० सं० 216 सन् 2021, धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम मोहित उर्फ अमित उर्फ लाला थाने पर पंजीकृत हुये थे, तीनो की विवेचना उसके सुपुर्द हुई थी। मैंने तीनों मुकदमों की विवेचना दिनांक 24.06.2021 को ही ग्रहण करते हुये थाना कार्यालय से नकल चिक नकल रपट प्राप्त की और इनका इन्द्राज सी०ड़ी० मे किया, तथा बयान एफ०आई०आर लेखक एच०एम० सुधीर कुमार, बयान वादी प्रभारी निरीक्षक आनन्द प्रकाश मिश्र अंकित किया तथा थाना हवालात पर मौजूद अभियुक्तगण अरविन्द उर्फ माछी, मोहित उर्फ छोटू, व मोहित उर्फ अमित उर्फ लाला का बयान अंकित किया तथा उन तीनों को न्यायालय में पेश किया। दिनांक 26.06.2021 को बयान गवाहन एस०एस०आई० शिवनारायण सिंह, एस०आई० प्रदीप कुमार, हैड कॉ० तेजेन्द्र सिंह, कॉ० परमजीत सिंह दर्ज किये। दिनांक 30.06.2021 को वादी मुकदमा को साथ लेकर निरीक्षण घटनास्थल बरामदगी पर पहुँचा तथा वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शानजरी तैयार किये। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से नक्शानजरी सम्बन्धित मु०अ०सं० 214 सन् 2021, 215 सन् 2021 व 216 सन् 2021 को क्रमशः प्रदर्श क-37, प्रदर्श क-38 व प्रदर्श क-39 के रूप में साबित करते हुए अग्रेतर कथन किया गया है कि दिनांक 26.07.2021 को अभियुक्तगण अरविन्द उर्फ माछी, मोहित उर्फ छोटू व मोहित उर्फ अमित उर्फ लाला के विरुद्ध 25 आयुध अधिनियम का अभियोग चलाने का अनुमित आदेश तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट मेरठ श्री के० बालाजी अलग अलग थाना कार्यालय से प्राप्त हुये जिनका इन्द्राज सी०ड़ी० में किया। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से अनुमति आदेश अभियुक्त अरविन्द उर्फ माछी को प्रदर्श क-40, अनुमति आदेश अभियुक्त मोहित उर्फ छोटू को प्रदर्श क-41 व अनुमति आदेश अभियुक्त मोहित उर्फ अमित उर्फ लाला को प्रदर्श क-42 के रूप में साबित करते हुए अग्रेंतर कथन किया गया है कि साक्ष्य विवेचना व बरामदगी के आधार पर दिनांक 16.08.2021 को अभियुक्तगण अरविन्द उर्फ माछी, मोहित उर्फ छोटू व मोहित उर्फ अमित उर्फ लाला के विरुद्ध क्रमशः आरोप पत्र संख्या 135 सन् 2021, 136 सन् 2021 व 137 सन् 2021, धारा 3/25 आयुध अधिनियम प्रेषित किये गये। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम आरोप पत्र सं०-135 सन् 2021, 136 सन् 2021 व 137 सन् 2021 को क्रमशः प्रदर्श क-43, प्रदर्श क-44 व प्रदर्श क-45 के रूप में साबित किया गया है।

(I) इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत प्रति परीक्षा की गयी है जिसका उल्लेख निर्णय में यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

16- विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता "फौज" एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

निष्कर्ष

17— अभियोजन साक्षी पी0डब्लू—1 श्रीमती डिम्पल के द्वारा मुख्य परीक्षा में दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि " घटना दिनांक 20.06.2021 दिन रविवार समय करीब 09:00 बजे रात की है। मेरे पति दीपक उनके दोस्त नीटू व अशोक के साथ जंगल को साथ गए थे और घर के लिए आ रहे थे जब वह महेंद्र पुत्र भूण्ड़िया के मकान के पास पहुंचे तो अरविंद उर्फ माच्छी, अमित उर्फ लाला, वरुण व मोहित उर्फ छोटे और उनके साथ कुछ अज्ञात व्यक्ति अपने हाथों में तमंचे सरिये व बंदूको से मेरे पति दीपक उर्फ भोलू और उनके दोस्त अशोक उर्फ नीटू पर एक राय होकर जान से मारने की नीयत से गोली बरसा दी। शोर सुनकर मैं तथा संजय पुत्र हरबीर मौके पर पहुंचे तो ये दोनों जमीन पर पड़े थे जिसमें मेरे पति की मौके पर ही मौत हो गई थी। अशोक गंभीर रूप से घायल हो गया था तथा उसे होश नहीं था। जब हम वहां पर पहुंचे तो इन लोगों ने उन पड़े हुए दोनों पर हमारे सामने भी गोलियां मारी थी "। इस प्रकार उपरोक्त मुख्य परीक्षा में वादिनी पी0डब्लू—1 श्रीमती डिम्पल के द्वारा स्पष्ट साक्ष्य दिया गया है कि अभियुक्तगण के द्वारा उसके सामने जमीन पर पड़ें दोनों लागें को गोलियां मारी गयी थीं। इस प्रकार अभियोजन पक्ष के द्वारा पी0डब्लू—1 श्रीमती डिम्पल को इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया है लेकिन जब बचाव पक्ष के द्वारा पी0डब्लू—1 श्रीमती डिम्पल से प्रति परीक्षा की जाती है तो पृष्ठ—5 पर पी0डब्लू—1 श्रीमती डिम्पल के द्वारा दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि " इस घटना में मैनें कुछ अज्ञात व्यक्ति बताये हैं। मैने घटना कारित करने वाले व्यक्तियों को भागते हुये देखा था। मैं मारने वालों की संख्या नही गिन पायी थी। मैं अपने आदमी की हालत देखकर हौज—पौज हो गयी थी इसलिये मैं मारने वालों के बारे में नही बता सकती,गवाह ने स्वंय कहा कि मैं सामने आने पर पहचान सकती हूं "। इस प्रकार उपरोक्त प्रति परीक्षा में वादिनी पी0डब्लू—1 श्रीमती डिम्पल के द्वारा स्पष्ट साक्ष्य दिया गया है कि उसने घटना कारित करने वालों को भागते हुये देखा था और वादिनीपी0डब्लू—1 श्रीमती डिम्पल अपने आदमी की हालत देखकर हौज—पौज हो गयी थी इसलिये वह मारने वालों के बारे में नही बता सकती लेकिन इन लोगों के सामने आने पर वह पहचान सकती है। इस प्रकार उपरोक्त प्रति परीक्षा में वादिनी पी0डब्लू—1 श्रीमती डिम्पल के द्वारा दी गयी साक्ष्य से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि उसके द्वारा मुख्य परीक्षा में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में जो साक्ष्य दिया गया है वह पूरी तरह से असत्य है क्योंकि यदि वादिनी पी0डब्लू—1 श्रीमती डिम्पल घटना के समय अभियुक्तगण को नही पहचान पायी थी तो उन्हें बाद में किस तरह से पहचान सकती है,महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी अभियुक्तगण वादिनी पी0डब्लू—1 श्रीमती डिम्पल के लिये अजनबी नही हैं बल्कि उसके ग्राम पूठी,परीक्षितगढ़ के निवासी हैं,जहां की निवासिनी वादिनी पी0डब्लू—1 है। सभी अभियुक्तगण के द्वारा बयान अंतर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 में स्वंय को ग्राम पूठी,परीक्षितगढ़ का निवासी होना बताया गया है और इसी ग्राम की निवासिनी पी0डब्लू—1 भी है। स्वंय वादिनी पी0डब्लू—1 श्रीमती डिम्पल के द्वारा तहरीर प्रदर्श क—1 में भी कहा गया है कि अरविन्द माच्छी का परिवार उसके प्रति रंजिश रखता है। अतः ऐसी स्थिति में

अभियोजन पक्ष की ओर से वादिनी पी0डब्लू–1 श्रीमती डिम्पल को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के तौर पर पेश करने से अभियोजन कथानक संदिग्ध हुआ जा रहा है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि वादिनी पी0डब्लू–1 श्रीमती डिम्पल के द्वारा केवल उपरोक्त मुख्य परीक्षा में स्वंय को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नही बताया गया है बल्कि तहरीर प्रदर्श क–1 का अवलोकन करने से भी यही स्पष्ट होता है कि इस घटना की तहरीर भी वादिनी पी0डब्लू–1 के द्वारा प्रत्यक्षर्शी साक्षी के तौर पर थाने पर दी गयी है। उपरोक्त मुख्य परीक्षा के प्रथम पेज पर ही वादिनी पी0डब्लू–1 श्रीमती डिम्पल के द्वारा स्वंय के सामने अभियुक्तगण द्वारा घटना को अंजाम देने का साक्ष्य नही दिया गया है बल्कि मुख्य परीक्षा के पेज–2 पर भी ऐसा साक्ष्य दिया गया है जो इस प्रकार है कि " गवाह ने हाजिर अदालत अभियुक्तगण को देखकर कहा कि ये सभी मेरे गांव के हैं। मैं इन्हें जानती हूं तथा इन्होंने ही दिनांक 20.06.2021 की रात्री 09:00 बजे मेरे पति को गोली मारी थी तथा उनके साथी को भी गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था जिसकी बाद में मृत्यु हो गई थी ''। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादिनी पी0डब्लू–1 श्रीमती डिम्पल के द्वारा अभियुक्तगण के सम्बन्ध में प्रदर्श क–1 तहरीर एवं मुख्य परीक्षा में दिये गये साक्ष्य के विपरीत प्रति परीक्षा में साक्ष्य दिया गया है कि मारने वालों के बारे में नही बता सकती लेकिन उनमे सामने आने पर पहचान सकती है। जिससे वादिनी पी0डब्लू–1 श्रीमती डिम्पल की उपस्थिति घटना के समय घटनास्थल पर पूरी तरह से संदिग्ध हो जाती है तदानुसार अभियोजन कथानक भी संदिग्ध हो जाता है।

18– इसके अलावा वादिनी पी0डब्लू–1 श्रीमती डिम्पल ने न केवल तहरीर में बल्कि मुख्य परीक्षा में भी यह साक्ष्य दिया गया है कि घटनास्थल पर उसके साथ पी0डब्लू–2 संजय कुमार पुत्र हरवीर भी था और अभियोजन पक्ष की ओर से इन दोनों साक्षीगण को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। पी0डब्लू–2 संजय कुमार के द्वारा यद्यपि अभियुक्तगण को घटनास्थल पर घटना कारित करते हुये देखा गया था ऐसा साक्ष्य भी पी0डब्लू–2 संजय कुमार के द्वारा मुख्य परीक्षा में दिया गया है। पी0डब्लू–2 संजय कुमार के द्वारा मुख्य परीक्षा में इस प्रकार का बयान नही दिया गया है कि उसके साथ वादिनी पी0डब्लू–1 श्रीमती डिम्पल के द्वारा भी अभियुक्तगण के द्वारा घटना कारित करते हुये देखा गया है। पी0डब्लू–2 संजय कुमार के द्वारा सम्पूर्ण मुख्य परीक्षा में वादिनी पी0डब्लू–1 का नाम तक नही लिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्पूर्ण प्रति परीक्षा में भी पी0डब्लू–2 संजय कुमार के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य नही दिया गया है कि जब उसके द्वारा घटनास्थल पर अभियुक्तगण को अपराध कारित करते हुये देखा गया तब उसके साथ वादिनी पी0डब्लू–1 श्रीमती डिम्पल भी मौजूद थी। घटनास्थल पर पी0डब्लू–2 संजय कुमार के अलावा पहुंचने वाले अन्य लोगों के बारे में पी0डब्लू–2 संजय कुमार के द्वारा पेज–9 पर दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि " जब मैं मौके पर पहुंचा तब मैनें अपने भाई को बेहोशी की हालत में देखा। मैने पहुंचनें के बाद पांच–चार मिनट में बेहोशी की हालत में अपने भाई को गाड़ी में बैठा लिया। हम अपने भाई को मौके से 9:15 मिनट पर लेकर चल पड़े थे और 9:22 मिनट पर परीक्षितगढ़ में आये। मौके पर जहां मेरा भाई पड़ा था,मैं उसके पास चार–पांच मिनट था। उस दौरान मेरे लड़के शुभम ने गाड़ी वाले को फोन किया,जैसे मेरे लड़के ने फोन किया था गाड़ी 5–4 मिनट में आ गयी थी। मेरे बेटे ने गाड़ी वाले

को 9:10 मिनट फोन किया था। गाड़ी वाले सोनू को फोन किया था। जब हम 5–4 मिनट मौके पर रहे थे। उस समय 10–15 लोग मौके पर आ चुके थे। जब हम घटना के बाद मौके पर पहुंचे थे तब ये लोग आ गये थे। मौके पर आने वाले लोग अजीत पुत्र धर्मपाल, ओमकार पुत्र धर्मपाल और भी लोग थे परंतु मैं नही बता सकता क्येांकि मैं अपने भाई को देखकर हौच–पौच हो गया था "। इस प्रकार घ टनास्थल पर पहुंचने वाले अन्य 10–15 लोगों के बारे में पी0डब्लू–2 संजय कुमार के द्वारा बताया गया है लेकिन अजीत व ओमकार के अतिरिक्त पी0डब्लू–2 के द्वारा अपने पुत्र शुभम के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का नाम बताने में उसके द्वारा अनभिज्ञता जाहिर की गयी है क्योंकि वह हौज–पौज हो गया था। इसके अलावा पी0डब्लू–2 संजय कुमार के द्वारा पेज–15 पर दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि " जब हम मौके पर पहुंचा तो शुभम ने पुलिस को फोन किया था तो उस समय आसपास के 10–15 लोग आ गये थे जब मैं पहुंचा तो मैने वहां पर अजीत,ओमकार,गज्जी एवं वहां पर हरेन्द्र,विजेन्दर,विजयपाल व रामवीर थे और का नाम ध्यान नही है "। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य में पी0डब्लू–2 संजय कुमार के द्वारा बताया गया है कि जब वह मौके पर पहुंचा तो 10–15 लोग आसपास के आ गये थे लेकिन पी0डब्लू–2 को अजीत,ओमकार,गज्जी,हरेन्दर,विजेन्दर,विजयपाल व रामवीर के अलावा अन्य लोगों के नाम ध्यान नही हैं लेकिन कतई तौर पर पी0डब्लू–2 संजय कुमार के द्वारा यह बिल्कुल नही बताया गया कि घटनास्थल पर घटना के समय या घटना के बाद वादिनी पी0डब्लू–1 श्रीमती डिम्पल भी पहुंच गयी थी इसलिये घटनास्थल पर वादिनी पी0डब्लू–1 की उपस्थिति पी0डब्लू–2 संजय कुमार के अनुसार भी पूरी तरह से संदिग्ध हो जाती है।

19– इसके अलावा जब वादिनी पी0डब्लू–1 श्रीमती डिम्पल घटनास्थल पर उपस्थित थी,तब उस समय के बारे में पी0डब्लू–1 के द्वारा पेज–6 पर साक्ष्य इस प्रकार दिया गया है कि " जब पुलिस आयी थी और पुलिस ने देखा कि मृतक के पास कोई नही है तब पुलिस ने एमब्यूलैंस बुलाकर दीपक उर्फ भोलू को उठाकर एमब्यूलैंस में ले गये थे। अशोक उसके घरवालें पुलिस के आने से पहले उठाकर ले गये थे क्योंकि उसकी सांस चल रही थी। मुझे जानकारी नही है कि अशोक को कौन–कौन उठाकर ले गये थे। अशोक को उठाकर उसके घरवाले ले गये थे और अशोक के पिताजी हमारे साथ थे "। इस प्रकार वादिनी पी0डब्लू–1 के द्वारा साक्ष्य दिया गया है कि घटनास्थल से अशोक के घरवालें अशोक को उठाकर पुलिस के आने से पहले ही ले गये थे लेकिन वादिनी पी0डब्लू–1 को जानकारी नही है कि अशोक को उठाकर अस्पताल कौन–कौन ले गये थे। इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बलपूर्वक यह कथन किया गया है कि जब वादिनी पी0डब्लू–1 घटनास्थल पर मौजूद थी और उसके द्वारा घटना पी0डब्लू–2 संजय कुमार के साथ होते हुये देखी गयी थी और मजरूब अशोक का भाई पी0डब्लू–2 संजय कुमार मात्र 15 मिनट के अंदर 9:15 बजे अपने भाई को लेकर चला गया तब वादिनी पी0डब्लू–1 के द्वारा पी0डब्लू–2 संजय कुमार को अपने भाई को ले जाते हुए क्यों नही देखा गया जबकि स्वंय पी0डब्लू–1 वादिनी ने घटना के समय रात्रि 9:00 बजे अभियुक्तगण के द्वारा दीपक और अशोक को गोली मारते हुये पी0डब्लू–2 संजय कुमार के साथ देखा था इसलिये बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कथन किया गया है कि वादिनी पी0डब्लू–1 श्रीमती

डिम्पल की उपस्थिति घटनास्थल पर बिल्कुल नही थी। इसके विपरीत उपरोक्त साक्ष्य में आगे पी0डब्लू–1 के द्वारा साक्ष्य दिया गया है कि अशोक के पिता उसके साथ थे लेकिन पी0डब्लू–2 संजय कुमार के द्वारा यह साक्ष्य बिल्कुल नही दिया गया कि घटनास्थल पर उसके पिता भी मौजूद थे जबकि अशोक के पिता यानि पी0डब्लू–2 संजय कुमार के पिता हरवीर के सम्बन्ध में वादिनी पी0डब्लू–1 श्रीमती डिम्पल के द्वारा पेज–8 पर यह साक्ष्य दिया गया है कि " अशोक के पिताजी का नाम हरवीर है। अशोक उर्फ नीटू को हरवीर के सामने ही अस्पताल लेकर गये। अशोक उर्फ नीटू के साथ हरवीर नही गया था। वह हमारे साथ था। अशोक उर्फ नीटू के साथ काफी लोग गये थे "। उपरोक्त साक्ष्य में भी वादिनी पी0डब्लू–1 के द्वारा भी यह साक्ष्य दिया गया है कि हरवीर के सामने काफी लोग अस्पताल लेकर अशोक को गये लेकिन हरवीर नही गया। हरवीर वादिनी पी0डब्लू–1 के साथ था जबकि पी0डब्लू–2 संजय कुमार घायल अशोक को अस्पताल ले गये थे और पी0डब्लू–2 के द्वारा साक्ष्य दिया गया है कि जब वह अशोक को घटनास्थल से अस्पताल ले गये थे वहां पर 10–15 लोग थे। उनमें अजीत,ओमकार, शुभम,गज्जी,हरेन्दर,विजेन्दर,विजयपाल व रामबीर थे लेकिन बाकी लोगों का नाम पी0डब्लू–2 संजय कुमार के द्वारा नही बताया गया है। यदि पी0डब्लू–2 संजय कुमार का पिता हरवीर उस समय घटनास्थल पर मौजूद होता तो पी0डब्लू–2 द्वारा उसका नाम अवश्य बताया गया होता। इस प्रकार वादिनी पी0डब्लू–1 का उपरोक्त साक्ष्य भी असत्य साबित हो जाता है इसलिये वादिनी पी0डब्लू–1 की घटनास्थल पर उपस्थिति संदिग्ध साबित हो जाती है और अभियोजन कथानक भी संदिग्ध हो जाता है।

20– इसके अलावा पी0डब्लू–1 श्रीमती डिम्पल वादिनी के द्वारा पेज–5 पर दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि " यह बात सही है कि मेरे पति की मौत मौके पर हो गयी थी। महेन्द्र पुत्र भूड़िया जिसके मकान के सामने घटना घटी,गोली चलने के बाद वहां कोई नही आया। गांव वाले गोली चलने के बाद जब पुलिस आ गयी थी। उसके 10–15 मिनट बाद आये थे। महेंन्द्र पुत्र भूड़िया के मकान में से घटना से पहले या घटना के बाद कोई नही आया,घटना से 15 मिनट बाद पुलिस आ गयी थी "। उपरोक्त साक्ष्य में वादिनी पी0डब्लू–1 के द्वारा बताया गया है कि महेन्द्र पुत्र भुड़िया के घर के पास घटना घटित हुयी थी और उसके घर का कोई व्यक्ति घटना के बाद यानि गोली चलने के बाद नही आया था तथा गांव वाले भी गोली चलने के बाद पुलिस वालों के घटनास्थल पर पहुंचने के बाद आये थे और गोली चलने के 15 मिनट बाद मौके पर पुलिस आयी थी जबकि घटना रात्रि 9:00 बजे की है और पी0डब्लू–2 संजय कुमार के द्वारा साक्ष्य दिया गया है कि पी0डब्लू–2 संजय कुमार 9:15 बजे अपने भाई को घटनास्थल से लेकर अस्पताल के लिये लेंकर चल दिया था और जब पी0डब्लू–2 घटना के बाद 9:15 बजे अपने भाई को लेकर निकला तब घटनास्थल पर पुलिस नही आयी यानि 9:15 बजे पुलिस घटनास्थल पर पहंच गयी होती तो पी0डब्लू–2 के द्वारा ऐसा साक्ष्य अवश्य दिया गया होता लेकिन पी0डब्लू–2 के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य मुख्य परीक्षा अथवा प्रति परीक्षा में नही दिया गया है कि घटना स्थल पर पुलिस के पहुंचने पर वह घ ाायल अशोक को लेकर अस्पताल के लिये 9:15 बजे निकल गया था, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि 9:15 बजे तक पुलिस न तो मौके पर पहुंची थी और न ही

वादिनी पी0डब्लू–1 मौके पर पहुंची थी। इसके अतिरित जैसा साक्ष्य पी0डब्लू–1 के द्धारा दिया गया है,वह पी0डब्लू–2 संजय कुमार के साक्ष्य एवं परिस्थितियों के अनुसार असत्य साबित हो जाता है।

21– वादिनी पी0डब्लू–1 श्रीमती डिम्पल के द्धारा पेज–9 पर दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि " जिस समय मैं थाने पर रिपोर्ट लिखा रही थी। मेरे पति का शव कहां था मुझे जानकारी नही थी। खुद बताया पुलिस उन्हें उठाकर ले गयी थी। मेरे पति को पुलिस उठाकर ले गयी थी। मुझे जानकारी नही कि पुलिस उसे कहां ले गयी थी। रिपोर्ट लिखानें तक मुझे इस बात की जानकारी नही थी। ये बात सही है कि रिपोर्ट लिखाने तक दीपक उर्फ भोलू का शव व अशोक उर्फ नीटू कहां पर भर्ती था। इस बात की मुझे जानकारी नही थी "। उपरोक्त साक्ष्य में वादिनी पी0डब्लू–1 के द्धारा स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि रिपोर्ट लिखाने तक उसे नही पता था कि दीपक का शव पुलिस कहां ले गयी थी व घ ाायल अशोक को किस अस्पताल ले जाया गया था जिस कारण बचाव पक्ष के विद्धान अधिवक्ता द्धारा बलपूर्वक कथन किया गया है कि वादिनी पी0डब्लू–1 श्रीमती डिम्पल घटनास्थल पर पहुंची ही नही था। यदि वादिनी पी0डब्लू–1 घटना स्थल पर पहुंची होती तो उसे यह पता होता कि उसके पति के शव को पुलिस कहां पर ले गयी और घायल अशोक को उठाकर उसके परिवार वालें किस अस्पताल में ले गये हैं।

22– इसके अलावा वादिनी पी0डब्लू–1 के द्धारा पेज–5 पर दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि " मुझे जानकारी नही है कि पुलिस को किसने बुलाया था,मुझे आज तक भी जानकारी नही है कि पुलिस किसने बुलाई थी। यह बात सही है कि जब तक पुलिस नही आयी तब तक घटनास्थल पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नही था "। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य के माध्यम से वादिनी पी0डब्लू–1 श्रीमती डिम्पल के द्धारा बताया गया है कि उसे आज तक जानकारी नही है कि पुलिस को किसने बुलाया था। वादिनी पी0डब्लू–1 के द्धारा यह भी साक्ष्य दिया गया है कि जब तक पुलिस घटनास्थल पर नही पहुंची थी तब तक मौके पर कोई व्यक्ति नही पहुंचा था। वादिनी पी0डब्लू–1 के द्धारा दिया गया यह साक्ष्य पूरी तरह से असत्य है क्योंकि मौके पर पहुंचने से पहले ही पी0डब्लू–2 संजय कुमार अपने घायल भाई अशोक को अस्पताल ले गया था। इससे साबित होता है कि वादिनी पी0डब्लू–1 श्रीमती डिम्पल के मौके पर पहुंचने से पहले ही पी0डब्लू–2 अपने घायल भाई को अस्पताल ले गया था क्योंकि वादिनी पी0डब्लू–1 को पता ही नही है कि अशोक को कौन ले गया था। इसका तात्पर्य यह है कि वादिनी पी0डब्लू–1 व पी0डब्लू–2 घटनास्थल पर मिले ही नही थे और न ही उनके सामने घटना घटित हुयी है क्योंकि वादिनी पी0डब्लू–1 के द्धारा स्पष्ट साक्ष्य दिया गया है कि पुलिस टीम के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति मौके पर नही पहुंचा था तब फिर वादिनी पी0डब्लू–1 किस प्रकार से तहरीर में यह बात लिख सकती है कि उसके एवं पी0डब्लू–2 संजय कुमार के द्धारा घटना कारित होते हुए देखा गया और किस प्रकार से उसके द्धारा मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया जा सकता है कि उसके एवं पी0डब्लू–2 संजय कुमार के सामने घटना घटित हुयी। इस प्रकार जैसा साक्ष्य वादिनी पी0डब्लू–1 श्रीमती डिम्पल के द्धारा दिया जा रहा है,वह पूरी तरह

से संदिग्ध है और वादिनी पी0डब्लू–1 का साक्ष्य अभियोजन कथानक को भी संदिग्ध बना रहा है।

23– वादिनी पी0डब्लू–1 श्रीमती डिम्पल के द्वारा पेज–6 पर दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि " मेरा भाई मेरे घर पर दस या साढ़े दस बजे आ गया था। मेरे भाई के साथ कौन–कौन लोग आये थे। मुझे जानकारी नही है लेकिन एक गाड़ी भर कर आयी थी,जब मैनें अपने पति को देखा मृत अवस्था में देखा था तब मैं उनसे लिपट कर नही रोई थी। उनको बस देखा था जब मेरा भाई गाड़ी लेकर आया था उस समय मैं घर पर थी "। वादिनी पी0डब्लू–1 के द्वारा बताया गया है कि उसका एक भाई है जिसका नाम कृष्ण है और उसके साथ रिपोर्ट लिखाने वह थाने पर गयी थी लेकिन उपरोक्त साक्ष्य में वादिनी पी0डब्लू–1 के द्वारा बताया गया है कि उसका भाई दस या साढ़े दस बजे गाड़ी लेकर उसके घर पर पहुचा था और उस समय वह घर पर थी। वादिनी पी0डब्लू–1 श्रीमती डिम्पल द्वारा पेज–5 पर यह साक्ष्य भी दिया गया है कि घटना के 15 मिनट बाद पुलिस आ गयी थी और वादिनी पी0डब्लू–1 के द्वारा 9:00 बजे घटना को घटित होते हुए तहरीर एवं मुख्य परीक्षा में दिये गये साक्ष्य के अनुसार देखा गया था तात्पर्य यह है कि वादिनी पी0डब्लू–1 घटनास्थल पर पुलिस के पहुंचने के बाद अपने पति को घ ाटनास्थल पर छोड़कर अपने घर वापिस चली गयी थी क्योंकि वादिनी पी0डब्लू–1 के द्वारा उपरोक्त साक्ष्य में स्वंय कहा गया है कि उसका भाई गाड़ी लेकर दस या साढ़े दस बजे उसके घर पर पहुंच गया था और उस समय वह घर पर थी। इसके सम्बन्ध में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बलपूर्वक यह कथन किया गया है कि यह बिल्कुल अस्वाभाविक है कि वादिनी पी0डब्लू–'1 अपने मृत पति को छोड़कर वापस अपने भाई का इंतजार दस या साढ़े दस बजे करने के लिये अपने घर पर चली गयी हो। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह कथन भी किया गया है कि वादिनी पी0डब्लू–1 दस या साढ़े दस बजे अपने भाई का इंतजार करने के लिये घर पर थी या नही थी लेकिन वह किसी भी हालत में मौके पर घटना के समय नही थी और घटनास्थल पर तब भी नही थी जब मौके पर पुलिस टीम पहुंची थी। इस बात की पुष्टि वादिनी पी0डब्लू–1 के द्वारा दिये गये उपरोक्त साक्ष्य से भी होती है जिसमें वादिनी पी0डब्लू–1 के द्वारा बताया गया है कि मैने अपने पति को मृतावस्था में देखा था तब मैं उनसे लिपट कर नही रोयी थी उनको बस देखा था। इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह कथन किया गया है कि ऐसा बिल्कुल भी स्वाभाविक नही है कि कोई पत्नी अपने पति को मृतावस्था में देखे और उसके पास बैठकर या उससे लिपटकर न रोये और केवल उसको देखती रह जाये इसलिये बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह कथन किया गया है कि वादिनी पी0डब्लू–1 श्रीमती डिम्पल उस समय घटनास्थल पर नही थी जब प्रकरण की घटना घटित हुयी और न ही उसके द्वारा घटना को घटित होते हुये देखा गया। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा किया गया उपरोक्त कथन सत्य प्रतीत होता है क्योंकि न केवल वादिनी पी0डब्लू–1 के साक्ष्य में इतनी अधिक विसंगतियां एवं विरोधाभास विद्यमान है बल्कि पी0डब्लू–2 संजय कुमार के द्वारा दिये गये साक्ष्य के सापेक्ष वादिनी पी0डब्लू–1 का साक्ष्य विसंगतियों एवं विरोधाभास से परिपूर्ण है इसलिये न केवल वादिनी पी0डब्लू–1 श्रीमती डिम्पल का साक्ष्य संदिग्ध है बल्कि उसका साक्ष्य अभियोजन

कथानक को संदिग्ध बना रहा है।

24– वादिनी पी0डब्लू–1 श्रीमती डिम्पल के द्वारा पेज–5 पर दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि " मुझे जानकारी नही है कि पुलिस को किसने बुलाया था,मुझे आज तक भी जानकारी नही है कि पुलिस किसने बुलायी थी। यह बात सही है कि जब तक पुलिस नही आयी तब तक घटना स्थल पर कोई भी व्यक्ति नही आया था "। उपरोक्त साक्ष्य में वादिनी पी0डब्लू–1 के द्वारा बताया गया है कि उसे जानकारी नही है कि पुलिस किसने बुलायी थी। वादिनी पी0डब्लू–1 को उपरोक्त साक्ष्य अभिलिखित किये जाने की तिथि तक भी इसकी जानकारी नही थी कि मौके पर घटना की जानकारी किसने पुलिस को दी थी लेकिन इस सम्बन्ध में पी0डब्लू–2 के द्वारा पेज–5 पर दिया गया साक्ष्य महत्वपूर्ण है जो इस प्रकार है कि " मेरे गांव में एक लड़का शुभम है,मेरे लड़के का नाम भी शुभम है। मेरे लड़के शुभम की उम्र 21–22 वर्ष है। मेरे लड़के शुभम का क्या फोन नम्बर है,मैं नही बता सकता। यह बात सही है कि 09:09:40 सेकेण्ड पर मेरा भाई अशोक, महेन्द्र पुत्र भूड़िया के मकान के सामने घायलावस्था में पड़ा था। मेरा लड़का शुभम मौके पर मौजूद था। यह बात सही है कि नौ बजकर नौ मिनट चालीस सैकेण्ड पर दीपक मर चुका था। अशोक घायल था जब शुभम ने फोन किया था मैं शुभम के साथ मौके पर मौजूद था। शुभम और मैं घटनास्थल पर साथ नही गये थे "। इस प्रकार साक्ष्य में पी0डब्लू–2 संजय कुमार के द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि उसके लड़के शुभम ने 09:09:40 बजे फोन किया था जबकि दीपक की मृत्यु हो गयी थी औरी अशोक घायल होकर मौके पर पड़ा था लेकिन पी0डब्लू–2 के द्वारा उपरोक्त साक्ष्य में यह नही कहा गया है कि शुभम ने यह फोन पुलिस को किया था लेकिन पी0डब्लू–2 के द्वारा इसी बिन्दु से सम्बन्धित पेज–11 पर प्रथम पंक्ति में दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि " जब मेरे बेटे ने 9:09:40 सैकेण्ड पर पुलिस को फोन किया तो मेरे साथ वहां मौके पर गांव के 10–12 लोग थे। इन लोगों में आस पड़ौस के लोग भी थे एवं गांव के लोग भी थे। इन 10–12 लोगों में से एक–दो का याद है। बाकी के नही। सभी लोग मेरे जानकार थे "। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य में पी0डब्लू–2 के द्वारा स्पष्ट कह दिया गया है कि नौ बजकर नौ मिनट चालीस सैकेण्ड पर शुभम के द्वारा पुलिस को फोन किया गया था यानि शुभम के द्वारा पुलिस को घटना की जानकारी दी गयी। शुभम के द्वारा जब नौ बजकर नौ मिनट चालीस सैकेण्ड पर पी0डब्लू–2 के सामने पुलिस को घटना की जानकारी दी जा रही थी तब वादिनी पी0डब्लू–1 श्रीमती डिम्पल को घटना की जानकारी क्यों नही हुयी कि पी0डब्लू–2 संजय कुमार के पुत्र शुभम के द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दी गयी जब कि वादिनी पी0डब्लू–1 के द्वारा साक्ष्य दिया जा रहा है कि वह घटना के समय मौके पर पहुंच गयी थी और उसके द्वारा घटना को होते हुये अपनी आखों से देखा गया था और 9:00 बजे घटना घटित होने के 15 मिनट बाद मौके पर पुलिस भी सवा नौ बजे पहुंच गयी थी और शुभम के द्वारा मौके से नौ बजकर नौ मिनट चालीस सैकेण्ड पर पुलिस को फोन किया गया। इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बलपूर्वक कथन किया गया है कि अब कोई सन्देह इस बिन्दु पर नही रह जाना चाहिए कि वादिनी पी0डब्लू–1 श्रीमती डिम्पल घटना के समय एवं घटना के बाद मौके पर नही थी। इस प्रकार वादिनी पी0डब्लू–1 श्रीमती डिम्पल एवं पी0डब्लू–2 संजय कुमार के उपरोक्त साक्ष्य

से अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है।

25– पी0डब्लू–2 संजय कुमार के द्धारा पेज–4 पर दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि " यह बात मैने ंदरोगाजी को बयान में बतायी थी कि ''खेत से लौटते समय करीब रात्रि 9:00 बजे जैसे ही दोनों धमेन्द्र भूड़ियां के मकान के सामने से गुजर रहे थे तभी अरविन्द उर्फ माच्छी उसका भाई अमित उर्फ लाला पुत्र सुखबीर व वरूण और उसका भाई मोहित उर्फ छोटू पुत्र राकेश सबने अपने हाथों में लिये तमंचों एवं बंदूक से गोलिया बरसाकर अशोक व दीपक को घायल कर दिया" अगर उक्त बात दरोगाजी ने मेरे बयान में नही लिखा तो मैं इसकी कोई वजह नही बता सकता। यह कहना गलत है कि मैनें उक्त बात न्यायालय में विधिक राय से बतायी हो। ''मैनें यह बात भी दरोगाजी को बतायी थी कि '' जिससे दीपक उर्फ भोलू की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी तथा मेरा भाई अशोक गम्भीर रूप से घ ाायल हो गया था। अगर दरोगाजी ने उक्त बात मेंरे बयान में नही लिखी तो मैं इसकी कोई वजह नही बता सकता। मैनें यह बात '' कि इन चारों लोगों को गोली चलाते हुये व मारते हुये मैनें अपनी आंखों से देखा था'' अगर दरोगाजी ने मेरे बयान में यह बात नही लिखी है तो मैं इसकी कोई वजह नही बता सकता। यह कहना गलत है कि मैनें उपरोक्त सभी बातें विधिक राय से न्यायालय में बतायी हो। मैं कक्षा–9 तक पढ़ा लिखा हूं। पढ़ना जानता हूं लिखना थोड़ा–थोड़ा जानता हूं। यह बात सही है कि मैने न्यायालय में जो बयान दिया है उसमें मेरे अलावा घ ाटना देखने वाला और कोई चश्मदीद साक्षी नही है और न ही मैनें किसी चश्मदीद साक्षी का नाम न्यायालय में बताया है "। पी0डब्लू–2 संजय कुमार से बचाव पक्ष के विद्धान अधिवक्ता के द्धारा पूछे जाने पर कि क्या यह बयान जब विवेचक को दिये थे? तब पी0डब्लू–2 के द्धारा उपरोक्त साक्ष्य में बताया गया कि ऐसे बयान दिये थे लेकिन वास्तव में बयान अंर्तगत धारा 161 द0प्र0सं0 में पी0डब्लू–2 संजय कुमार के ऐसे बयान अभिलिखित नही है। इस प्रकार बचाव पक्ष के विद्धान अधिवक्ता के द्धारा कथन किया गया है कि पी0डब्लू–2 के बयान अंर्तगत धारा 161 द0प्र0सं0 एवं न्यायालय में दिये गये साक्ष्य में परस्पर विरोधाभास विद्यमान है,जो कि सही भी है इसलिये बचाव पक्ष के विद्धान अधिवक्ता के द्धारा कथन किया गया है कि इन विरोधाभासों के चलते अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है।

26– बचाव पक्ष के विद्धान अधिवक्ता के द्धारा बहस के दौरान बलपूर्वक यह कथन किया गया है कि पी0डब्लू–2 संजय कुमार घटना के समय मौके पर नही था और इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष के विद्धान अधिवक्ता के द्धारा पी0डब्लू–2 के द्धारा पेज–11 पर दूसरी पंक्ति में दिये गये साक्ष्य की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया गया है जो इस प्रकार है कि " इस बात की रिपोर्ट मुकदमें की रिपोर्ट कब हुयी मुझे जानकारी नही है। मैं अस्पताल में था। इस समय मुझे जानकारी नही थी कि इस मुकदमें में किसको मुकदमें में मुल्जिम बनाया गया किसको गवाह बनाया गया। मैं मौके पर नही था बाद में पता चला "। उपरोक्त साक्ष्य में पी0डब्लू–2 संजय कुमार के द्धारा बताया गया है कि इस मुकदमें की रिपोर्ट कब लिखी गयी उसे पता नही है और पी0डब्लू–2 के द्धारा यह भी बताया गया है कि उसे यह भी नही पता कि मुकदमा लिखाते समय किसे अभियुक्त बनाया गया और किसे गवाह बनाया गया है क्योंकि वह मौके पर मौजूद नही था

बाद में पता चला। पी0डब्लू–2 संजय कुमार के द्वारा दिये गये साक्ष्य के सम्बन्ध में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बलपूर्वक कथन किया गया है कि पी0डब्लू–2 के उपरोक्त साक्ष्य से अभियोजन कथानक बलहीन हो जाता है क्योंकि उसे कुछ पता ही नही है कि इस प्रकरण का कौन अभियुक्त है और कौन गवाह है क्योंकि वह मौके पर था ही नही। पी0डब्लू–2 संजय कुमार के उपरोक्त साक्ष्य से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अभियोजन कथानक पर बल देने के लिये पी0डब्लू–2 के द्वारा जो भी साक्ष्य दिया गया है,वह असत्य है। पी0डब्लू–2 के द्वारा दिये गये उपरोक्त साक्ष्य को हल्के में बिल्कुल भी नही लिया जा सकता क्योंकि ऐसा नही माना जाना चाहिए कि गलती से उपरोक्त साक्ष्य उसके मुंह से निकल गया हो। इसका कारण यह है कि उपरोक्त साक्ष्य के ठीक पश्चात उपरोक्त साक्ष्य की ही पुष्टि करने वाला साक्ष्य पी0डब्लू–2 के द्वारा फिर से दिया गया है जो पेज–12 पर इस प्रकार है कि " मुझे अगले दिन पता चल गया था जब हमारे घर के अस्पताल आये थे। अस्पताल में मेरे पिताजी आये थे। मेरे पिताजी ने आकर बताया था कि फलां–फलां को मुल्जिम बनाया गया था। फलां–फलां को गवाह बनाया गया। मेरे पिताजी के साथ गांव के पांच–छः लोग और थे। गांव से जो मेरे पिताजी के साथ लोग आये थे। उनके नाम विजयपाल,रामवीर,महकार,चरनसिंह,ओमी आये थे। इनसे भी मेरी बातचीत हुयी थी। यह बात मेरे पिताजी ने बतायी थी कि कौन मुल्जिम है और कौन गवाह है। इन गांव वालों ने नही बतायी थी। इन गांव वालों को घटना की जानकारी थी या नही मुझे इसकी जानकारी नही। ये जो लोग थे ये लोग मेरे अड़ौसी–पड़ौसी थें। ये जो लोग मैने उपर बताये हैं। इनके मकान एक–दो को छोड़कर बाकी के घटनास्थल के पास ही हैं लेकिन इनमें से घटना देखने वाला गवाह नही है "। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य में पी0डब्लू–2 संजय कुमार के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि उसे अगले दिन अस्पताल में पता चला था जब अस्पताल में पी0डब्लू–2 संजय कुमार के पिता भी आये थे। पी0डब्लू–2 के पिता ने पी0डब्लू–2 को बताया कि फलां–फलां को अभियुक्त बनाया गया है और फलां–फलां गवाह जिससे स्पष्ट हो जाता है कि पी0डब्लू–2 संजय कुमार भी इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नही है इसके अलावा जब कि पूर्व में किये गये वादिनी पी0डब्लू–1 श्रीमती डिम्पल के साक्ष्य के विश्लेषण से भी यह स्पष्ट हो चुका है कि वादिनी पी0डब्लू–1 भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नही है। तब अभियोजन कथानक का कोई वजूद नही रह जाता है।

27– इसके अतिरिक्त पी0डब्लू–2 संजय कुमार के द्वारा पेज–11 पर दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि " जब मेरे बेट ने 9:09:40 सैकेण्ड पर पुलिस को फोन किया तो मेरे साथ वहां मौके पर गांव के 10–12 लोग थे। इन लोगों में आस पड़ौस के लोग भी थे एवं गांव के लोग भी थे। इन 10–12 लोगों में से एक–दो का याद है। बाकी के नही। सभी लोग मेरे जानकार थे। मेरे लड़के ने पुलिस को जो फोन किया था उसकी उसे जानकारी नही है। उसने क्या फोन किया यह जानकारी नही है। जैसे ही मेरा बेटा मौके पर आया उसने एक–दो मिनट में ही पुलिस को फोन कर दिया था। फोन मैं भी अपने पास रखता हूं। मैने उस दिन उस समय अपने फोन से किसी को फोन नही किया। जैसे मैं पहुंचा था शुभम एक–दो मिनट बाद वहां आ गया था और जो लोग थे वह शुभम के बाद आये थे। **प्रश्न**– आपके बेटे शुभम ने 20–06–2021 की रात 09:09:40 पर पुलिस

को बताया कि दो आदमी को गोली मार दी है। जानकारी नही है कि किसने मारा है,हालत गम्भीर है। इस बात की जानकारी आपको हुयी या नही? **उत्तर**– मुझे इस बात की जानकारी नही है कि शुभम ने इस बात को पुलिस ने बतायी या नही। फोन करने के बाद शुभम वहीं मौके पर था। मेरे लड़के के अलावा शुभम नाम का कोई और व्यक्ति मैनें वहां नही देखा "। इस प्रकार पी0डब्लू–2 संजय कुमार के उपरोक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि घटना के समय एवं दिनांक पर 09:09:40 सैकेण्ड पर उसके पुत्र शुभम ने पुलिस को घटना के सम्बन्ध में जानकारी दी कि दो आदमी को गोली मार दी गयी है लेकिन पी0डब्लू–2 को इस बात की जानकारी नही है कि शुभम ने पुलिस को क्या बताया। शुभम को इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह नही बनाया गया है जिस कारण बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बलपूर्वक यह कथन किया गया है कि अभियोजन पक्ष के द्वारा शुभम को यदि गवाह बनाया जाता तो इस प्रकरण की वास्तविकता न्यायालय के समक्ष आ जाती और ऐसा होने सें रोकने के लिए अभियोजन पक्ष के द्वारा शुभम को गवाह नही बनाया गया है लेकिन इस सम्बन्ध में शुभम ने पुलिस को जो जानकारी दी उसका खुलासा विवेचक पी0डब्लू–11 के द्वारा पेज–13 पर दिये गये साक्ष्य से हो जाता है जो इस प्रकार है कि " मुझे इस घटना की का0सं0 21अ/ए जो पत्रावली पर मौजूद है,जिसमें पुलिस को 112 नम्बर पर कॉल की गयी। यह कॉल फोन नम्बर 9548089884 और शुभमजी ने बताया कि दो आदमी को गोली मार दी है,जानकारी नही है कि किसने मारा है। हालत गम्भीर है,कॉल ड्राप हो गयी थी। यह कॉल 09 बजकर 09 मिनट 40 सेकेण्ड पर की गयी थी। यह बात सही है कि प्रथम सूचना शुभम ने 112 नम्बर पर दी थी। सबसे पहले सूचना शुभम ने 112 नम्बर पर दी थी। यह बात सही है कि मृतक अशोक के भाई का नाम संजय है। यह कहना सही है कि शुभम संजय का लड़का है। यह कॉल में लिखा है कि दो आदमियों को गोली मार दी है और यह जानकारी नही है कि किसने मारा है और उसके बाद कॉल ड्राप हो गयी और डायल 112 वालों ने कई बार मिलाया तो कॉल मिली नही। शुभम की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी,जब पुलिस मौके पर पहुची थी तो अशोक को घटनास्थल से घायलावस्था में पहले लेकर चले गये थे। दीपक उर्फ भोलू वहीं मृतावस्था में पड़ा था और उसको बाद में पुलिस उठाकर लायी थी "। इस प्रकार विवेचक पी0डब्लू–11 के साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि शुभम के द्वारा 112 नम्बर पर कॉल करके बताया गया कि दो लोगों को गोली मार दी गयी है। लेकिन किसने गोली मारी,इसकी जानकारी शुभम को नही थी। यदि शुभम को इस बात की जानकारी होती कि किसके द्वारा दोनों लोगों को गोली मारी गयी तो वह अवश्य ही 112 नम्बर पर बताता। इसका कारण यह है कि घायल अशोक कुमार,जिसकी दिनांक 30–06–2021 को अस्पताल में मृत्यु हो गयी, शुभम का चाचा था। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बलपूर्वक यह कथन किया गया है कि शुभम के द्वारा हत्यारों के नाम न बताये जाने का कारण केवल यह है कि घटना उसके सामने भी नही घटी थी और यदि उसके सामने घटी होती तो वह अवश्य 112 नम्बर पर यह बता देता कि किन लोगों ने इन दोनों को गोली मारी थी। अब महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि क्या पी0डब्लू–2 संजय कुमार और शुभम घटनास्थल पर साथ गए थे। इस सम्बन्ध में पी0डब्लू–2 संजय कुमार के द्वारा पेज–5 पर अन्तिम पंक्ति पर साक्ष्य दिया गया है कि " शुभम और मैं घटनास्थल पर साथ नही गए थे "। पी0डब्लू–2

के द्वारा साक्ष्य से अनुमान निकाला जा सकता है कि शुभम पी0डब्लू–2 से पहले घटनास्थल पर पहुंच चुका था क्योंकि जैसे ही शुभम घटना स्थल पर पहुंचा तो 09:09:40 सेकेण्ड पर उसके द्वारा 112 नम्बर पर काल की गयी और यदि पी0डब्लू–2 संजय कुमार घटनास्थल पर शुभम से पहले पहुंचा होता तो जाहिर है कि उसके द्वारा 112 नम्बर पर कॉल की जाती क्योंकि उसके पास भी मोबाईल फोन था। उसके द्वारा किसी अन्य से कॉल करायी जाती। जब शुभम घटनास्थल पर पहुंचा तो यह जान नही पाया कि किस के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है,फिर बाद में पहुंचने वाले किसी भी व्यक्ति को कैसे जानकारी हो सकती थी कि घटना को किसने अंजाम दिया। इसीलिये बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बलपूर्वक कथन किया गया है कि अभियोजन पक्ष के द्वारा जान बूझकर शुभम को परीक्षित नही कराया गया ।

28– नक्शा नजरी प्रदर्श क–21 को विवेचक पी0डब्लू–11 निरीक्षक आनन्द प्रकाश मिश्रा के द्वारा तैयार किया गया है एवं उसी के द्वारा साबित भी किया गया है। नक्शा नजरी प्रदर्श क–21 पर नक्शा बनाने की तारीख का उल्लेख नही किया गया है। नक्शा नजरी प्रदर्श क–21 में "X" बिन्दु को दीपक उर्फ भोलू के पड़े होने के स्थान के रूप में बताया एवं दर्शाया गया है एवं "Y" बिन्दु को घायल अशोक उर्फ नीटू के पड़े होने के स्थान के रूप में दर्शाया एवं बताया गया है। "X" बिन्दु इन्दरपाल पुत्र जानू के दरवाजे के उत्तरी ओर है और "Y" बिन्दु भीम सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह के घर के दक्षिण की पश्चिमी कोने पर स्थित है। नक्शा नजरी प्रदर्श क–21 विवेचक पी0डब्लू–11 निरीक्षक आनन्द प्रकाश मिश्रा द्वारा वादिनी की निशानदेही पर बनाया गया है किन्तु वादिनी के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के प्रथम पेज पर यह कथन किया गया है कि " घटना दिनांक 20.06.2021 दिन रविवार समय करीब 09:00 बजे रात की है। मेरे पति दीपक उनके दोस्त नीटू उर्फ अशोक के साथ जंगल को साथ गए थे और घर के लिए आ रहे थे जब वह महेंद्र पुत्र भूण्ड़िया के मकान के पास पहुंचे तो अरविंद उर्फ माच्छी, अमित उर्फ लाला, वरुण व मोहित उर्फ छोटे और उनके साथ कुछ अज्ञात व्यक्ति अपने हाथों में तमंचे सरिये व बंदूको से मेरे पति दीपक उर्फ भोलू और उनके दोस्त अशोक व नीटू पर एक राय होकर जान से मारने की नीयत से गोली बरसा दी। शोर सुनकर मैं तथा संजय पुत्र हरबीर मौके पर पहुंचे तो ये दोनों जमीन पर पड़े थे जिसमें मेरे पति की मौके पर ही मौत हो गई थी। अशोक गंभीर रूप से घायल हो गया था तथा उसे होश नहीं था। जब हम वहां पर पहुंचे तो इन लोगों ने उन पड़े हुए दोनों पर हमारे सामने भी गोलियां मारी थी "। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य में वादिनी पी०डब्लू-1 के द्वारा स्पष्ट कथन किया गया है कि जब दीपक व अशोक महेन्द्र पुत्र भूड़ियां के मकान के पास पहुंचे तो अभियुक्तगण के द्वारा दोनों को गोली मार दी गयी। इसके अलावा वादिनी पी0डब्लू–1 श्रीमती डिम्पल के द्वारा प्रति परीक्षा के पेज–5 पर साक्ष्य दिया गया है जो इस प्रकार है कि " मेरे पति की मौत मौके पर ही हो गयी थी,महेन्द्र पुत्र भूड़िया जिसके मकान के सामने घटना घटित हुयी,गोली चलने के बाद वहां पर कोई नही आया गांव वाले गोली चलने के बाद जब पुलिस आ गयी थी उसके दस–पन्द्रह मिनट बाद आये थे। महेन्द्र पुत्र भूड़िया के मकान में से घटना के पहले या बाद में कोई नही आया। घटना के 15 मिनट बाद पुलिस आ गयी थी "। इस

प्रकार उपरोक्त साक्ष्य में वादिनी पी0डब्लू–1 के द्वारा स्पष्ट साक्ष्य दिया गया है कि यह बात सही है कि उसके पति की मौत मौके पर ही हो गयी थी यानि महेन्द्र पुत्र भूड़िया के मकान के सामने यह घटना घटित हुयी और मौके पर ही वादिनी पी0डब्लू–1 श्रीमती डिम्पल के पति की गोली लगने से मौत हो गयी थी तब महेन्द्र पुत्र भूड़िया के घर के पास या घर के सामने मृतक दीपक का शव होना चाहिए था किन्तु उसका शव महेन्द्र पुत्र भूड़िया के मकान से 50 कदम की दूरी पर नक्शा नजरी में दर्शाये गये "X" स्थान पर पड़ा होना पाया गया,दूरी 50 कदम से भी अधिक होने की पुष्टि नक्शा नजरी प्रदर्श क–21 में वर्णित "Y" स्थान व अभियुक्त अरविन्द के मकान के बीच की दूरी 36 कदम से बहुत अधिक है।

29– इसके अलावा पी0डब्लू–2 संजय कुमार के द्वारा मुख्य परीक्षा के प्रथम पेज पर दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि “ दिनांक 20.06.2021 की बात है। मेरा भाई अशोक शाम के समय अपने पड़ोसी दीपक के साथ खेत पर गया था। खेत से लौटते समय रात्रि करीब 09:00 बजे जैसे ही दोनों धर्मेंद्र भूण्ड़िया के मकान के सामने से गुजर रहे थे तभी अरविंद उर्फ माच्छी व उसका भाई अमित उर्फ लाला पुत्र सुखबीर, वरुण और उसका भाई मोहित, छोटू पुत्र राकेश सभी ने अपने-अपने हाथों में लिए तमंचे व बंदूक से गोलियां बरसाकर अशोक व दीपक को घायल कर दिया जिसमें दीपक उर्फ भोलू की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी तथा मेरा भाई अशोक गंभीर रूप से घायल हो गया था "। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य में पी0डब्लू–2 संजय कुमार के द्वारा बताया गया है कि घटना की दिनांक एवं समय पर दीपक एवं अशोक जब वापस घर आ रहे थे तो धर्मेन्द्र भूड़िया के मकान के सामने से गुजरने पर अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित कर दी गयी तथा दीपक की मौके पर ही मृत्यु हो गयी तथा अशोक घायल हो गया यानि पी0डब्लू–2 के साक्ष्य के अनुसार भी दीपक का शव धर्मेन्द्र भूड़िया के मकान के सामने होना चाहिए था परंतु नक्शा नजरी प्रदर्श क–21 में "X" स्थान पर इन्दरपाल के मकान के सामने पड़ा होना दर्शाया गया है तथा नक्शा नजरी में प्रदर्श क–21 में किसी भी घर को धर्मेन्द्र भूड़िया के घर के रूप में नही दर्शाया गया है। इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बलपूर्वक यह कथन किया गया है कि पी0डब्लू–2 के उपरोक्त साक्ष्य से भी नक्शा नजरी प्रदर्श क–21 संदिग्ध हो जाता है।

30– इसके अलावा विवेचक पी0डब्लू–11 निरीक्षक आनन्द प्रकाश मिश्रा के द्वारा पेज–15 पर दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि ‘’ मैने उक्त मुकदमे का नक्शा नजरी तैयार किया था। किस दिन तैयार किया था इस पर तिथि अंकित नहीं है। लेकिन केस डायरी में अंकित है। यह नक्शा नजरी मैने वादनी की निशानदेही पर बनाया था। तहरीर में वादनी ने महेन्द्र पुत्र भुंदिया के मकान के सामने से जब गुजर रहे थे उस समय घटना कारित करना बताया था। बयान अंर्तगत धारा 161 द०प्र०सं० में मुकदमा वादनी ने बताया जब वे दोनो महेन्द्र पुत्र भुंदिया के दरवाजे पर पहुँचे तो इन्होने भी जानलेवा हमला किया। 161 के बयानो में वादिया ने मृतक के शव को इन्द्रपाल पुत्र जानू के मकान के सामने पड़ा होना नही बताया। स्पष्ट रूप से भीम सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह के नाम से 161 के बयानो में घायल अशोक का पड़ा होना नही बताया बल्कि मृतक दीपक के शव के पास ही थोडी दूर पर पड़ा होना

बताया था। महेन्द्र पुत्र भुंडिया के मकान के सामने मृतक व घायल का पड़ा होना नही दर्शाया गया है ''। इस प्रकार विवेचक पी0डब्ल–11 निरीक्षक आनन्द प्रकाश मिश्रा के द्धारा उपरोक्त साक्ष्य में बताया गया है कि नक्शा नजरी प्रदर्श क–21 वादिनी पी0डब्लू–1 डिम्पल की निशानदेही पर बनाया गया था और वादिनी पी0डब्लू–1 के द्धारा विवेचक पी0डब्लू–11 निरीक्षक आनन्द प्रकाश मिश्रा को महेन्द्र पुत्र भूड़िया के घर के आगे घटना को घटित होना बताया गया है लेकिन वादिनी पी0डब्लू–1 के द्धारा बयान अंर्तगत धारा 161 द0प्र0सं0 में दीपक के शव को इन्दरपाल पुत्र जानू के घर के सामने पड़ा होना नही बताया गया तो विवेचक पी0डब्लू–11 निरीक्षक आनन्द प्रकाश मिश्रा के द्धारा "X" स्थान पर इन्दरपाल के घर के सामने दीपक के शव को होना क्यों दर्शाया गया है। इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष के विद्धान अधिवक्ता द्धारा बलपूर्वक यह कथन किया गया है कि विवेचक पी0डब्लू–11 के द्धारा सही ढंग से नक्शा नजरी प्रदर्श क–21 तैयार नही किया गया है।

31– इसके अलावा विवेचक पी0डब्लू–11 निरीक्षक आनन्द प्रकाश मिश्रा के द्धारा पेज–15 पर अन्तिम तीसरी पंक्ति में दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि " महेन्द्र पुत्र भूड़िया के मकान के सामने मृतक व घायल का पड़ा होना नही दर्शाया तथा न ही महेन्द्र पुत्र भूड़िया के मकान के सामने ऐसा कोई चिन्ह दर्शाया कि जहां कोई घटना घटी हो महेन्द्र पुत्र भुंडिया के मकान के सामने खून आदि पड़ा होना भी नही दर्शाया और न ही महेन्द्र पुत्र भुंडिया के मकान के सामने नक्शे में कोई टिकली बुलेट छर्रा पड़ा होना दर्शाया।क्योंकि वादनी ने 161 के बयानो में महेन्द्र पुत्र भुंडिया के दरवाजे पर पहुँचने के दौरान अभियुक्तगणो द्वारा जानलेवा हमला किया जाना बताया है परन्तु घायल होकर गिरे हुये स्थान के बारे में स्पष्ट रूप से 161 के बयानो में नहीं बताया। नक्शे में मृतको के आने के रास्ते को अंकित नही किया गया है। 161 के बयानो में अंकित है। यह कहना गलत है कि नक्शा बनवाते समय किसी को भी यह जानकारी न हो कि मृतक किस दिशा से आये। इंडेक्स में घायलो मृतक के पड़े होने के स्थान को स्पष्ट किया गया है जिससे स्वत ही खून पड़ा होना स्पष्ट है किंतु इंडेक्स में खून को अलग से पड़ा होना नही दर्शाया। **प्रश्न**–अगर घटना स्थल पर खून पड़ा होता तो आप उसे इंडेक्स में दर्शाते या नहीं? **उत्तर**– घटना स्थल पर मृतक घायलो का पड़ा होना जो स्वत ही रक्त रंजित थे जिससे उनके पड़े होने के स्थान दर्शाने से रक्त का होना स्वत ही स्पष्ट हो जाता है। इस कारण नहीं दर्शाया गया है "। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य के अनुसार विवेचक पी0डब्लू–11 के द्धारा महेन्द्र के घर के सामने न तो छर्रा या बुलेट होना दर्शाया गया है और न ही रक्त होना दर्शाया गया है जिसके सम्बन्ध में बचाव पक्ष के विद्धान अधिवक्ता द्धारा बलपूर्वक यह कथन किया गया है कि घटना का नक्शा नजरी विवेचक पी0डब्लू–11 निरीक्षक आनन्द प्रकाश मिश्रा के द्धारा मनमानें ढंग से बनाया गया है जिससे अभियोजन कथानक संदिग्ध हो रहा है।

32– बचाव पक्ष के विद्धान अधिवक्ता के द्धारा विवेचक पी0डब्लू–11 निरीक्षक आनन्द प्रकाश मिश्रा के द्धारा दिनांक 15–05–2024 को कागज संख्या 83क/11 पर दिये गये साक्ष्य की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है जो इस प्रकार है कि:– " जहां मुल्जिमान को पकड़ा गया वहां का नक्शा नजरी तैयार किया गया। गांव बडला करीब एक कि0मी0 दूर है। यह ज्ञान नही है कि घटना करने के उपरांत गिरफतारी तक अभियुक्त कहां रहे। अभियुक्तों का गांव थाने से दो–ढाई कि0मी0 दूर है। गिरफ्तारी घटनास्थल के आसपास ही मुखबिर मिला था। इस समय निश्चित स्थान ज्ञात नही है। मुखबिर कितने समय मिला था। इस समय ज्ञात नही

है। गिरफ्तारी से पहले मिला था। निश्चित समय इस समय ज्ञात नही है कि मुखबिर के मिलने के उपरांत अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुयी थी। कितनी देर बाद हुयी थी निश्चित समय ज्ञात नही है। यह कहना गलत है जिस प्रकार मैं बता रहा हूं। उस प्रकार मुल्जिम की गिरफ्तारी न हुयी हो और इसलिये मैं सही समय न बता पा रहा हूं। जब मुल्जिमों की गिरफ्तारी की गयी थी। उससे पूर्व जनता के गवाहों को खोजने का प्रयास किया गया था। भलाई बुराई के कारण कोई तैयार नही था। जिस स्थान पर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। उस स्थान का नक्शा नजरी बनाने की आवश्यकता नही थी इसलिये नही बनाया। **प्रश्न**–क्या हत्या जैसे मुकदमें में मुल्जिमान को बरामदगी से पहले किस स्थान से गिरफ्तार किया गया। साक्ष्य विधि के अनुसार नक्शा बनाना आवश्यक नही है। यह बात साक्ष्य अधिनियम में कहां लिखी है? **उत्तर**– गिरफ्तारी उपरांत बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी तैयार किया गया। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान को जिस स्थान से मैं बता रहा हूं। उस स्थान से गिरफ्तार न किया गया हो बल्कि उन्हें घर से उठाकर थाने लाया गया हो और इसलिये गिरफ्तारी का नक्शा नजरी तैयार न किया हो। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के समय हथियार उनके कब्जे में नही थे। **प्रश्न**–तीनों अभियुक्तगण के द्वारा बरामदगी से पूर्व अलग–अलग तीनों के कलमबंद बयान अंकित किये या नही? **उत्तर**– हॉ किये गये। **प्रश्न**– पत्रावली पर कलमबंद बयान मौजूद हैं या नही? उत्तर– केस डायरी के रूप में पत्रावली पर मौजूद हैं। **प्रश्न**– कलमबंद बयान किसे कहते हैं। आपको जानकारी है? **उत्तर**– विवेचना के क्रम में 161 द0प्र0सं0 के बयान अंकित किये जाते हैं। अगर वो सी0डी0हस्तलेख में है तो बयान हस्तलेख में लिखे जाते हैं। अगर टाईपिंग से हैं तो टाईपशुदा बयान केस डायरी में अंकित किया जाता है। मेरी जानकारी में कलमबंद बयान इसी को कहते हैं। **प्रश्न**– आला कत्ल की बरामदगी से पहले मुल्जिमान के बयान दो सम्मानित व्यक्तियों के सामने दर्ज करके सम्मानित व्यक्तियों के व मुल्जिमान के हस्ताक्षर कराकर उसकी के अनुरूप धारा–27 साक्ष्य अधिनियम की बरामदगी करायी या नही? **उत्तर**– जनता के गवाह भलाई–बुराई के कारण गवाही हेतु तैयार नही हुए। उसके बाद नियमानुसार स्वंय उपस्थित पुलिस के गवाहों के समक्ष आला कत्ल की बरामदगी की गयी तथा अभियुक्तगण के हस्ताक्षर भी बनवाये गये "। विवेचक पी0डब्लू–11 के द्वारा दिये गये उपरोक्त साक्ष्य के बारे में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बलपूर्वक यह कथन किया गया है कि विवेचक पी0डब्लू–11 के उपरोक्त साक्ष्य से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार फर्जी ढंग से अभियुक्तगण से हथियारों की बरामदगी की गयी। इसके अलावा किसी भी गवाह के द्वारा विवेचक पी0डब्लू–11 नि0 आंनद प्रकाश मिश्रा को ऐसा साक्ष्य नही दिया गया कि अभियुक्तगण के हाथ में कोई डण्डा भी था लेकिन फिर भी विवेचक पी0डब्लू–11 के द्वारा डण्डे की बरामदगी अभियुक्तगण से की गयी। इस सम्बन्ध में विवेचक पी0डब्लू–11 नि0 आंनद प्रकाश मिश्रा द्वारा दिनांक 30–01–2025 को अभिलिखित कागज संख्या 83क/14 पर दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि :–

" **प्रश्न**–तहरीर व 161Crpc मे किसी अभियुक्त के हाथ मे डंडा होना नहीं लिखा है क्या यह बात सही है? **उत्तर**– सरिया आदि होना बताया गया है डंडा होना नहीं बताया गया है। यह बात सही है कि किसी भी गवाह ने दौरान विवेचना मुझे अभियुक्त के हाथ में डंडा होना नही बताया है स्वंय कहा कि स्वंय अभियुक्त ने बताया था। **प्रश्न**– क्या किसी भी गवाह ने घायलो के उपर डंडे से वार करना दौरान विवेचना आपको बताया था? **उत्तर**– उक्त दोनो गवाहो ने नहीं बताया है "। इस प्रकार विवेचक पी0डब्लू–11 निरीक्षक आनन्द प्रकाश मिश्रा के द्वारा दिये गये उपरोक्त साक्ष्य के बारे में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बलपूर्वक यह कथन किया गया है कि असलाह बरामदगी की सारी कार्यवाही विवेचक पी0डब्लू–11 के द्वारा फर्जी ढंग से की गयी है और बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन उचित भी प्रतीत हो रहा है जिससे अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है।

33— इसके अतिरिक्त घटना दिनांक 20—06—2021 की रात्रि समय 21:00 बजे की बतायी गयी है यद्यपि इसकी एफ0आई0आर0 दिनांक 21—06—2021 को समय 00:44 पी0एम0 पर थाने पर दर्ज हो गयी थी लेकिन सम्बन्धित मजिस्ट्रेट न्यायालय को इसकी चिक एफ0आई0आर0 प्रदर्श क—02 पूरे 08 दिन पश्चात अर्थात दिनांक 28—06—2021 को प्रेषित की गयी। दिनांक 21—06—2021 को दर्ज हुयी इस प्रकरण की रिपोर्ट सम्बन्धित मजिस्ट्रेट न्यायालय को 08 दिन के पश्चात प्रेषित की गयी,जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **2004 (1) J.I.C.522 (SC) KUNJU M0HAMMED @ KHUMANI & ANR. V/S STATE OF KERALA जिसें माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा 11 अगस्त—2003 को निर्णीत किया गया है,** उसमें माननीय न्यायालय द्वारा थाने पर 36 घण्टे बाद प्रेषित की गयी एफ0आई0आर0 को विलम्ब से प्रेषित किया गया माना गया है जबकि इस प्रकरण में एफ0आई0आर0 08 दिन बाद प्रेषित की गयी है। जिससे अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है।

34— इसके अलावा पी0डब्लू—11 विवेचक निरीक्षक,आनंद प्रकाश मिश्रा द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के पेज—1 पर कथन किया गया है कि " मैं दिनांक 20—06—2021 को प्रभारी निरीक्षक,परीक्षितगढ के पद पर था तथा मु0अ0सं0 211 सन 2021 धारा 147,148,149,302,307,504 भा0द0स0 की विवेचना मेरे द्वारा संपादित की गयी थी"। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कथन किया गया है कि वादिनी की निशानदेही पर उसके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया। इस प्रकार विवेचक द्वारा वादिनी पी0डब्लू—1 के बयान अंर्तगत धारा 161 द0प्र0सं0 के बयान घटना के ही दिनांक 20—06—2021 को अभिलिखित किये जा सकते थे किन्तु विवेचक पी0डब्लू—11 द्वारा वादिनी मुकदमा श्रीमती डिम्पल पी0डब्लू—1 का बयान अंर्तगत धारा 161 द0प्र0सं0 घटना की दिनांक 20—06—2021 के 02 दिन अर्थात 22—06—2021 को दर्ज किया गया है। इसी प्रकार प्रकरण के एक अन्य साक्षी पी0डब्लू—2 संजय कुमार जिसको अभियोजन कथानक के अनुसार मौके पर मौजूद होना बताया गया है,के बयान अंर्तगत धारा 161 द0प्र0सं0 विवेचक पी0डब्लू—11 द्वारा दिनांक 01—07—2021 को अत्यन्त विलम्ब से लेखबद्ध किया जाना केस डायरी के परिशीलन से स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। क्या इस प्रकार से विवेचक पी0डब्लू—11निरीक्षक,आंनद प्रकाश मिश्रा के द्वारा की गयी विवेचना की कार्यवाही को न्यायोचित एवं तर्कसंगत माना जा सकता है। **Ganesh Bhavan Patel vs. State of Maharashtra 1978(4) SCC 371 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि सिद्धान्त के माध्यम से अवधारित किया गया है कि:— is an authority for the preposition that delay in recording of statements of prosecution witnesses u.s. 161 Cr.pc., although those witnesses were or could be available for examination when the investigating officer visited the seen of occurence or soon thereafter, would cast a doubt upon the prosecution case.** इस प्रकार स्पष्ट है जब विवेचक पी0डब्लू—11 निरीक्षक,आंनद प्रकाश मिश्रा घटनास्थल पर पहुंचा तब वादिनी पी0डब्लू—1 श्रीमती डिम्पल व पी0डब्लू—2 की उपलब्धता विवेचक को सुगम थी तथा पी0डब्लू—11 विवेचक के द्वारा दिनांक 21—06—2021 को इन दोनों के बयान अंर्तगत धारा 161 द0प्र0सं0 आसानी से दर्ज किये जा सकते थे,लेकिन नही किये

गये। माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है।

35– इस प्रकार प्रकरण के तथ्यों एवं साक्ष्यों के उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो चुका है कि वादी पी0डब्लू–1 श्रीमती डिम्पल व पी0डब्लू–2 संजय कुमार के साक्ष्यों में इतने अधिक विरोधाभास एवं विसंगतियां हैं जिससे न तो उनकी उपस्थिति घटना के दिनांक एवं समय पर घटनास्थल पर साबित हो रही है और न ही उनके साक्ष्य पर विश्वास किये जाने का कोई न्यायोचित एवं तर्कसंगत आधार पाया जा रहा है।

(i) इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्थाः–
<u>महावीर सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य दाण्डिक अपील संख्या 1141 सन 2007 में पारित निर्णय दिनांकित 09–11–2016</u> में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है किः–

"It is the duty of the Apex Court to separate chaff from the husk and to dredge the truth from the pandemonium of Statements. It is but natural for human beings to state variant statements due to time gap but if such statements go to defeat the core of the prosecution then such contradictions are material and the Court has to be mindful of such statements . The case in hand is a fit case, wherein there are material exaggerations and contradictions, which inevitably raises doubt which is reasonable in normal circumstances and keeping in view the substratum of the prosecution case, we cannot infer beyond reasonable doubt that the appellant caused the death of the deceased." माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकरण में भी अभियोजन साक्षीगण विशेष रूप से वादिनी पी0डब्लू–1 श्रीमती डिम्पल व पी0डब्लू–2 संजय कुमार के द्वारा साक्ष्य बढ़ा–चढ़ा कर प्रस्तुत किया गया है जिससे उसमें इतने अधिक विरोधाभास एवं विसंगतियां उत्पन्न हो गयी हैं जिससे यह तथ्य बहुत अधिक संदिग्ध हो जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण की घटना घटित होने के समय वह घटनास्थल पर मौजूद हो तथा उनके द्वारा घटना घटित होते हुये देखी गयी हो।

(ii) माननीय उच्चतम न्यायलय की विधि व्यवस्था शरद विरधी चन्द्र शारदा बनाम महाराष्ट् राज्य ए.आई.आर. 1984 एस.सी. 1622 में अवधारित किया गया है किः–

" गम्भीर जितना अपराध होगा,उतना अधिक सबूत का मानदण्ड होना चाहिए। अभियुक्त सन्देह के आधार पर दोषी होना प्रतीत होना हो सकता है किन्तु वह विधिक सबूत की कोटि में नही आता। जब साक्ष्य पर दो सम्भाव्यतायें उपलब्ध हैं या खुली हैं,जिनमें से एक अभियोजन के पक्ष में और दूसरी अभियुक्त के लाभ के लिये है,तो अभियुक्त निःसन्देह सन्देह के लाभ का हकदार है। सिद्धान्त की विशेष सुसंगति है,जहां अभियुक्त के अपराध को परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा साबित की जाने की अपेक्षा की जाती है "। इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **Harijana Thirupala vs. Public Rrosecutor (2002) 6 SCC 470 : 2002 SCC SCC (cri) 1370 Para 11 में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि :–**

"In cases where the court entertainst reasonable doubt regarding guilt of the accused the benefit of doubt should go in favour of the accused. At the same time, the court must not

reject the evidence of the prosecution takeing it as false, untrustworthy or unriliable on fanciful grounds or on the basis of confectuses & Surmises. The case of prosecution must be judged as a whole having regard to the totality of the evidence. In appreciating the evidence the approch of the court must be intigrated not **truncated** or isolated. In other words, the impact of the evidence in totality on the prosecution case or innocence of the accused has to be kept in mind in coming the conclusion as to the guilt or otherwise of the accused. In reaching a conclusion about the guilt of the accused, the court has to appreciate, analyse & assess the evidence placed before it bey the yardstick of probilities, its intrinsic value & the animus of witness. It must be added that ultimately & finally the decision in every case depends upon the facts of each case." इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **Shanker Vs State of M.P decided on 18 April 2018 (SC) के पैरा–17** में अवधारित किया गया है कि:–

"The High Court unfortunately has also not dealt with the matter in accordance with the settled principles of law. Before going to award conviction against an accused for the offence under Section 302, IPC the Courts should be mindful of the fact that there should be no room to suspect the evidence of key prosecution witnesses based on whose evidence the conviction is being awarded. As a general rule, while appreciating evidence in a criminal case, the Court should bear in mind that it is not the quantity, but the quality of evidence that is material. It is the duty of the Court to consider the trustworthiness of the witness and the evidence adduced on record and to assess the same in a prudent manner whether the same inspires confidence so as to accept and act upon, before convicting an accused." उपरोक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि जब विचारण न्यायालय के द्वारा आपराधिक प्रकरणों में साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाता है तब इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिये कि न्यायालय साक्ष्य की **Quality** का ध्यान रखे न कि **Quantity** का और न्यायालय का यह दायित्व है कि जघन्य अपराधों में अभियुक्त की दोषसिद्धी के लिये अभिलेख पर विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध होना चाहिए जबकि इस प्रकरण में अभियोजन कथानक के तथ्य के साक्षीगण की साक्ष्य में एवं अभियोजन कथानक में इतनी अधिक विसंगतियां एवं विरोधाभास है जिसका विश्लेषण उपरोक्त ढंग से किया जा चुका है और अभियोजन कथानक एवं उसके साक्ष्य में आयी उपरोक्त विसंगतियां एवं विरोधाभासों के कारण अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी साक्ष्य का विश्लेषण किये जाने की आवश्यकता भी नही रह जाती है और अभियोजन कथानक बलहीन साबित होता है।

36– इस प्रकार अभियोजन पक्ष पेश साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण अरविन्द उर्फ माच्छी पुत्र सुखबीर, मोहित उर्फ अमित उर्फ लाला पुत्र सुखबीर, वरूण पुत्र राकेश व मोहित उर्फ छोटू पुत्र राकेश के विरूद्ध धारा 302 सपठित धारा–34, 504 भा०द०सं० व अभियुक्त अरविन्द उर्फ माच्छी पुत्र सुखबीर, मोहित उर्फ छोटू पुत्र राकेश, मोहित उर्फ अमित उर्फ लाला पुत्र सुखबीर को धारा 3/25 आयुद्य अधिनियम के अंर्तगत लगाये गये आरोपों को

युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित कर पाने में पूर्ण रूपेण असफल रहा है। अभियुक्तगण उन पर लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य पाये जाते हैं।

आदेश

सेशन केस सं०– 1337 सन् 2021 (सत्र परीक्षण सं०–776 सन् 2021) में अभियुक्तगण **1–** अरविन्द उर्फ माच्छी पुत्र सुखबीर, **2–** मोहित उर्फ अमित उर्फ लाला पुत्र सुखबीर **3–** वरूण पुत्र राकेश, **4–** मोहित उर्फ छोटू पुत्र राकेश को धारा 302 सपठित धारा–34, 504 भा०द०सं० भा०द०सं० के अंर्तगत आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

सेशन केस सं०– 1338 सन् 2021 (सत्र परीक्षण सं०–777 सन् 2021)में अभियुक्त अरविन्द उर्फ माच्छी पुत्र सुखबीर को धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अंर्तगत आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

सेशन केस सं०– 1339 सन् 2021 (सत्र परीक्षण सं०–778 सन् 2021) में अभियुक्त मोहित उर्फ छोटू पुत्र राकेश को धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अंर्तगत आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

सेशन केस सं०– 1340 सन् 2021 (सत्र परीक्षण सं०–779 सन् 2021) में अभियुक्त मोहित उर्फ अमित उर्फ लाला पुत्र सुखबीर को धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अंर्तगत आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्तगण **1–** अरविन्द उर्फ माच्छी पुत्र सुखबीर, **2–** मोहित उर्फ अमित उर्फ लाला पुत्र सुखबीर, **3–** वरूण पुत्र राकेश, **4–** मोहित उर्फ छोटू पुत्र राकेश जमानत पर हैं। उनके व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को जमानत के दायित्व से मुक्त किया जाता है।

धारा 437A द०प्र०सं० के अंर्तगत अभियुक्तगण(प्रत्येक) अंकन 25,000–25,000/– रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि का 01– 01 प्रतिभू 10 दिवस की अवधि में इस आशय की निष्पादित व दाखिल करें कि यदि इस निर्णय के विरूद्ध अपील होती है तो वे नोटिस पर माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष स्वंय को प्रस्तुत करेगें ।

माल मुकदमाती वस्तु प्रर्दश–1 लगायत वस्तु प्रदर्श–52 मियाद अवधि तक सुरक्षित रखे जायें। इस निर्णय के विरूद्ध अपील होने की स्थिति में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार तथा अपील न होने की स्थिति में बाद मियांद अपील उन्हें नियमानुसार विनष्ट किया जाये।

निर्णय की एक–एक प्रति **सेशन केस सं०– 1338 सन् 2021** (**सत्र परीक्षण सं०**–777 **सन् 2021**), **सेशन केस सं०– 1339 सन् 2021** (सत्र परीक्षण सं०–778 सन् 2021), **सेशन केस सं०– 1340 सन् 2021** (सत्र परीक्षण सं०–779 सन् 2021) की पत्रावली पर रखी जाये।

दिनांक 25–06–2026

(राकेश कुमार–पंचम)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं०–1
मेरठ।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

दिनांक 25-06-2026

(राकेश कुमार-पंचम)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं०-1
मेरठ।

This is uncertified copy for information/reference.
For authentic copy Please refer to certified copy only

Digitally signed by RAKESH KUMAR
Date: 2026.06.29 11:42:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court